कर्जमाफी का वादा निभाया हाथों-हाथ हर संकट में सरकार खड़ी रही साथ

जयपुर . राज्य सरकार ने सहकारी क्षेत्र में किसानों को बड़ी राहत दी है। कर्जमाफी के साथ ही ऋण वितरण में आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। जिन किसानों के कर्ज माफ हुए हैं उनको अगली फसल के लिए फिर ऋण दिए गए। इसके साथ ही किसानों के साथ होने वाली जालसाजी को रोकने के लिए ऋण वितरण व्यवस्था में बदलाव किया। सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना-2019 में बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन की व्यवस्था शुरू की गई।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के फसली ऋण माफ कर बड़ा निर्णय लिया। सरकार ने सहकारी बैंकों से जुड़े अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के 30 नवम्बर, 2018 तक बकाया 7853.65 करोड़ रुपए के फसली ऋण माफ किए तथा 20.77 लाख किसानों को बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

इसके अलावा 2018-19 के पात्र किसानों के ऋण माफी के तहत 15500 करोड़ रुपए माफ किए। कृषि ऋण माफी होने से किसानों की भूमि रहन मुक्त हुई। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 में फसली ऋण के साथ सहकारी बैंकों (केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं भूमि विकास बैंक) के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण (सीमान्त एवं लघु श्रेणी के किसानों के) माफ किए गए। इसमें 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति में 32 हजार से ज्यादा किसानों का 361.39 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। ऋण माफी से इन किसानों की 1.55 लाख बीघा से अधिक कृषि भूमि रहन मुक्त हुई।

सहकारी बैंकों के 15,500 करोड़ के ऋण माफ

18 लाख नए सदस्यों को ऋण

कर्जमाफी के बाद 18 लाख नए किसानों को ऋण वितरण प्रणाली से जोड़ा गया। राज सहकार पोर्टल से पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही बायोमैट्रिक प्रणाली से समर्थन मूल्य पर ऑनलाइन खरीद, ऑनलाइन वेयरहाउस ई-रिसिप्ट सेवा, सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण, पैक्स एवं लेम्पस को मल्टी सर्विस सेन्टर बनाना, एकीकृत किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। इसी तरह ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर ई-मित्र केन्द्रों की शुरुआत की गई। यूरिया एवं डीएपी का बफर स्टॉक, नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन, कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना, ब्याज दर को कम करना, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना जैसी योजनाएं एवं निर्णय लागू कर अधिक से अधिक किसानों को सहकारिता के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। अन्य योजनाओं में सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने की अवधि को बढ़ाना, समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रों में बढोतरी, किसानों से सीधी खरीद के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं क्रय विक्रय सहकारी समितियों को निजी गौण मंडियों का दर्जा देना, सहकारी अल्पकालीन फसली ऋण वितरण में वृद्धि करना, खाद एवं बीज का अग्रिम भंडारण, दीर्घकालीन कृषि ऋण की पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि बढ़ाना, 3 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि उपज रहन ऋण, अवधिपार ऋणी किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना सहित अन्य निर्णय शामिल किए गए हैं।

प्रदेश में कृषि बजट की हुई अभिनव पहल

किसान कल्याण के लिए 11 मिशन 7500 करोड़ रुपए का कोष

जयपुर . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 में 'समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान' की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया। इसमें कृषि और संबंधित क्षेत्रों की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 11 मिशन की शुरुआत की गई।

इन मिशन की सफलता के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार पांच सौ करोड़ करने की घोषणा की गई है। इन 11 मिशन को जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं के खेती से जुड़ाव के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12वें मिशन 'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन' की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा पानी के सदुपयोग के लिए फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाइपलाइन, ड्रिप, स्प्रिंक्लर पर कृषकों को अनुदान दिया जा रहा है।

सिंचाई पाइपलाइन में भी 18 हजार तक सहायता: ट्यूबवेल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। सरकार लघु और सीमांत कृषकों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 18 हजार और अन्य कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15 हजार रुपए, जो भी कम हो अनुदान दे रही है।

फार्म पौण्ड निर्माण पर अनुदान

राज्य सरकार कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण के लिए अनुदान भी दे रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए (जो भी कम हो) और अन्य कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपए (जो भी कम हो) का अनुदान दिया जा रहा है। अन्य कृषकों को लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है। किसानों के पास फार्म पौण्ड निर्माण अनुदान के लिए स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर और संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि होना जरूरी है। फार्म पौण्ड निर्माण में गत 4 वर्षों में 25 हजार 595 किसानों को 186 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

डिग्गी निर्माण के लिए आर्थिक सहायता

राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता और इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 85 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख 40 हजार रुपए जो भी कम हो दिया जा रहा है। अन्य कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रुपए, जो भी कम हो अनुदान देय है। डिग्गी निर्माण के लिए कृषक के पास कम से कम 0.5 हैक्टेयर सिंचित भूमि होना आवश्यक है। पिछले 4 वर्षों में 13 हजार 311 किसानों को 517 करोड़ 07 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत अनुदान

किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई करने के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। लघु एवं सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को संयंत्र स्थापित करने के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत तक का अनुदान देय है। वहीं अन्य कृषकों के लिए लागत का 70 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए कृषक के पास कम से कम 0.2 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा अनुदान अधिकतम 5 हैक्टेयर की सीमा में देय है। गत 4 वर्षों में 3 लाख 9 हजार 763 किसानों को लगभग 1039 करोड़ रुपए का अनुदान दिया।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना: 8 लाख दुग्ध उत्पादकों को मिल रहा लाभ

जयपुर . मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को संबल मिला है। योजना से 8 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने फरवरी, 2019 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा था, जिसे बजट घोषणा 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। योजना से महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर देने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5 हजार डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की थी, जिसमें से एक हजार डेयरी बूथ महिलाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे। घोषणा के तहत राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा 434 डेयरी बूथ आवंटित किए गए हैं। इसमें से 282 डेयरी बूथ महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी 5 हजार से अधिक डेयरी बूथ खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके विरुद्ध आरसीडीएफ द्वारा 31 मार्च 2022 तक 5 हजार 269 डेयरी बूथ खोले गए।

इनका कहना है

जयपुर जिले के ग्राम रामपुरा डाबड़ी की दुग्ध उत्पादक रजनी देवी का कहना है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना से उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूती मिली है। इस योजना से मिलने वाले पैसे से पशुओं के आहार आदि खरीदने में मदद मिलती है। यह योजना पशुपालकों के लिए वरदान है। दौसा जिले के ग्राम खेड़ला के दुग्ध उत्पादक राजेश ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस योजना के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना के तहत मिल रहे आर्थिक अनुदान से उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है। साथ ही दूध का उचित मूल्य मिलने लगा है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना

2000 यूनिट बिजली फ्री से किसान का बिजली बिल शून्य

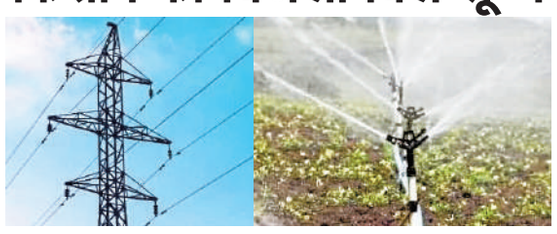

जयपुर . राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर निशुल्क देय होगी। महंगाई राहत कैंप में अब तक 11.47 लाख किसान इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 2000 यूनिट प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक आवर सप्लाई कृषि उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि योजना के तहत वर्तमान में दिया जा रहा 1000 रुपए प्रतिमाह का अनुदान प्राप्त हो सकेगा। किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है और 90 पैसे प्रति यूनिट पर ही बिजली दी जा रही है। प्रदेश के किसानों के विद्युत बिल भार को और कम करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2021 में किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में सामान्य श्रेणी-ग्रामीण ब्लॉक ऑवर सप्लाई के किसानों को प्रतिमाह 1000 रुपए तक अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। दौसा जिले के किसान कमलेश शर्मा मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में शामिल हैं। वह कहते हैं कि इस योजना के शुरू होने से पहले उन्हें सालभर में कृषि बिजली के लिए 10 से 12 हजार रुपए चुकाने पड़ते थे, अब बिजली बिल शून्य हो गया है।

देश के कुल मिलेट्स उत्पादन में राज्य की 28.6 % हिस्सेदारी

मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर राजस्थान

जयपुर . संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। हमारा देश विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगर बात राजस्थान की हो तो देश में मोटे अनाज के उत्पादन में हमारा राज्य सबसे ऊपर है। देश के मिलेट्स उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत है। वहीं मिलेट्स की खेती के क्षेत्रफल में 36 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो जैसे धान्य को शामिल किया गया है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने तथा प्रोटीन, विटामिन-बी और खनिज भरपूर मात्रा में होने के कारण वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज को पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया है। वैज्ञानिकों ने माना है कि सम्पूर्ण पोषण के लिए भोजन में बाजरा, ज्वार, कंगनी, सांवा, कोदो, कुटकी और रागी धान्य को शामिल किया जाना चाहिए।

बाजरा: 41.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पहले पायदान पर

राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख हैं। बाजरा उत्पादन में 41.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले स्थान पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में तीसरे पायदान पर है। राज्य के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही के क्षेत्रों में मोटे अनाज में सांवा, कांगनी, कोदो तथा कुटकी का उत्पादन भी किया जाता है।

राज्य सरकार की पहल: राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन

राज्य सरकार की ओर से मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि एवं घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया गया है। साथ ही किसानों, उद्यमियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा व ज्वार के बीज मिनिकिट्स का नि:शुल्क वितरण कर रही है। खरीफ 2022 में अधिक उपज देने वाली किस्म के बाजरा बीज के 8.32 लाख मिनीकिट वितरित किए गए हैं।

राजेंद्र प्रसाद को मिला खुशहाली का बीज

सीकर जिले के ग्राम बाजोद निवासी राजेंद्र प्रसाद को राज्य सरकार द्वारा बाजरा बीज का मिनीकिट दिया गया। वे बताते हैं कि बाजार से खरीदे हुए बीजों से उन्हें अपने खेत में इतनी अच्छी फसल कभी नहीं मिली जितनी मिनीकिट के उन्नत किस्म के बीजों से मिली है। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहते हैं कि राज्य सरकार की इस पहल से उनके खेतों में फसल अच्छी हुई है, जिससे उनकी आय में भी इजाफा होगा।

तनुश्री को बेस्ट स्टार्टअप का अवॉर्ड

जयपुर निवासी तनुश्री सिंह बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2019 में स्टार्टअप शुरू किया। वह बाजरा, ज्वार एवं रागी के केक, लड्डू एवं ब्राउनी जैसे अनेक दिलचस्प उत्पाद बनाती हैं। वे इन उत्पादों को किराना की दुकानों व अन्य ऑनलाइन माध्यमों के जरिए देश के साथ विदेश में भी विक्रय कर रही हैं। तनु अब स्वयं की वेबसाइट के जरिए भी लोगों तक अपने उत्पाद पहुंचा रही हैं। स्टार्टअप में सुपरफूड से बने हुए उत्पादों के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेस्ट स्टार्टअप के अवॉर्ड से भी पुरस्कृत किया गया।

किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान दे रही सरकार

राजस्थान में कृषि और डेयरी उद्योग लगाना हुआ आसान

जयपुर. प्रदेश में कृषि और डेयरी उद्योग लगाना अब आसान हो चुका है। राज्य सरकार 75 प्रतिशत सब्सिडी देकर डेयरी उद्योग लगाने के किसानों के सपने को साकार कर रही है। राज्य के हजारों किसानों को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आर्थिक संबल दिया जा रहा है।

इस योजना से प्रदेश के किसानों के लिए उत्पादन और कृषि प्रसंस्करण के साथ फल और सब्जियों व अन्य कृषि उत्पादों की बाजार में पहुंच बढ़ाने का आधारभूत ढांचा विकसित हुआ है। योजना के माध्यम से किसान, किसानों के समूह, उत्पादकों के समूह, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में लगे सहकारी विपणन संघ को वित्तीय सहायता दी जा रही है। यही नहीं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, जैविक उत्पादों और कच्चे कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए भाड़ा दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत अब तक 1103 प्रसंस्करणों के लिए 399.87 करोड़ रुपए का पूंजीगत अनुदान दिया गया है।

पूरे राजस्थान में सप्लाई हो रहे हमारे टमाटर

राजधानी जयपुर के बरकत नगर में साक्षी इंडस्ट्री के संचालक चतुर्भुज माहेश्वरी ने बताया कि उन्होंने दिसम्बर 2021 में टोमैटो फर्म की शुरुआत की थी। आज इस फर्म को चलते एक साल हो गया है। राज्य सरकार की ओर से हमें सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जा रही है। हमारी फर्म को अभी तक 18.91 लाख रुपए का अनुदान मिला है जिससे फर्म को चलाना आसान हुआ है। हमारे टमाटर पूरे राजस्थान में सप्लाई हो रहे हैं।

सीधे बैंक खाते में आ रही सब्सिडी

जयपुर से 15 किलोमीटर दूर फागी रोड पर डेयरी प्लांट चलाने वाले श्रीनवरत्न चौधरी बताते हैं कि उन्होंने अगस्त 2021 में डेयरी लगाने का फैसला किया था, पर यह काफी खर्चीला था, लेकिन राज्य सरकार की योजना के बदौलत आज उनका यह सपना साकार हुआ है। प्लांट लगाने के लिए हमने बैंक से लोन लिया। प्लांट के लिए लगभग 7 लाख रुपए मशीनों पर खर्च हुए, लेकिन इसमें हमें 50 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी गई है।

सोलर पंप लगाने में राजस्थान देश में अव्वल

सबसे आगे किसान हमारे

प्रदेश के 62 हजार से अधिक किसान लाभान्वित

जयपुर. किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता पर निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। इससे न केवल किसानों की बिजली पर निर्भरता कम हुई है बल्कि खेतों में उपज बढ़ी है और उनकी आय में भी इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई इस पहल से प्रदेश एक मॉडल स्टेट बन चुका है। सौर ऊर्जा पंप लगाने में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है।

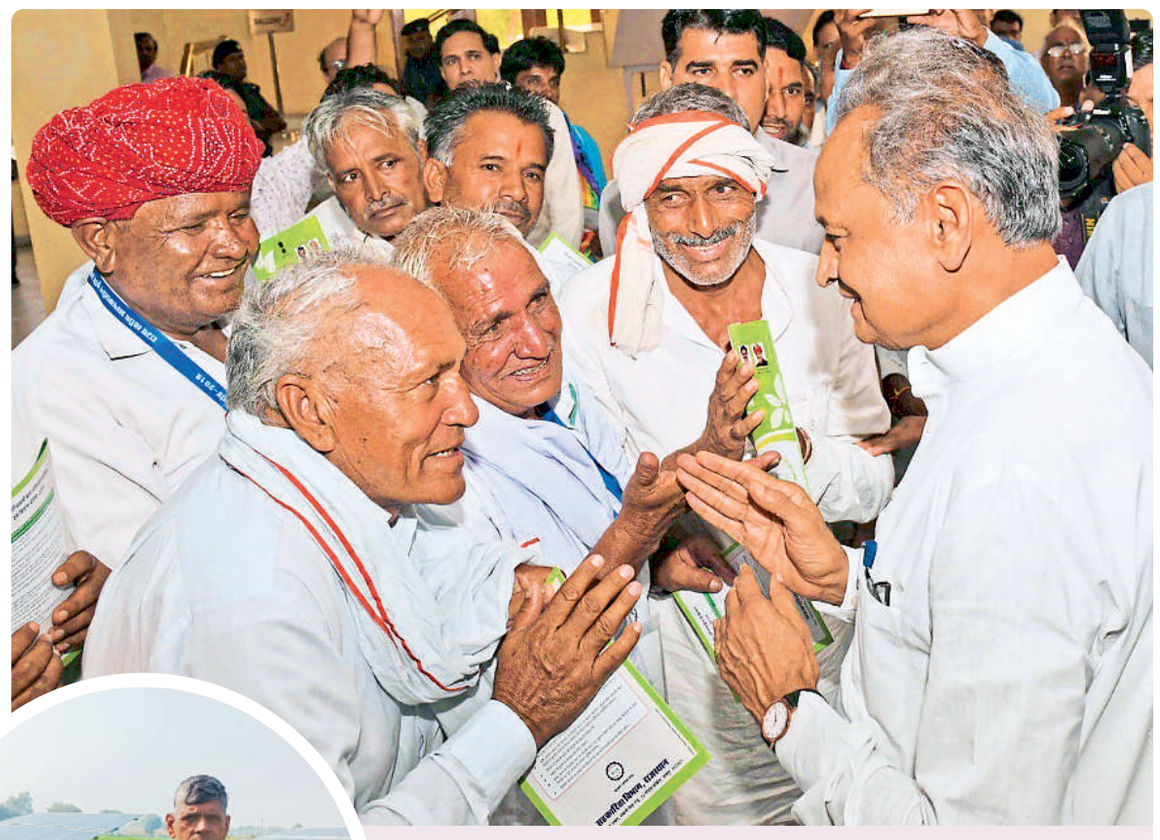

इन किसानों को मिल रहा विशेष अनुदान

किसानों को सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 45 हजार रुपए का अतिरिक्त अनुदान तथा जनजातीय उपयोजना क्षेत्र मे अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 एचपी क्षमता के सौर पंप संयंत्र पर शत-प्रतिशत अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।

सोलर पंप लगाने से धन्नाराम और महादेव की राह हुई सुगम

जयपुर के मुहाना निवासी धन्नाराम यादव ने बताया कि उन्होंने 7.5 एचपी का सौर पंप संयंत्र स्थापित किया है, जिससे अब उनकी बिजली पर निर्भरता खत्म हो गई है। पहले उनका बिजली का बिल 7 हजार रुपए मासिक आता था जो अब बिल्कुल नहीं आता है।

इसी प्रकार जयपुर जिले के ग्राम मुहाना निवासी महादेव कहते हैं उन्होंने 7.5 एचपी का सोलर पंप संयंत्र स्थापित किया है, जिससे उनकी रात्रि में फसलों में पानी देने की समस्या से निजात मिल गई है। पहले बिजली का बिल 3 हजार रुपए प्रति माह आता था जो अब बिल्कुल नहीं आता है।

62 हजार से अधिक किसानों को मिला 1100 करोड़ का अनुदान

सौर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत गत 4 वर्षों में 62 हजार 690 किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए 1100 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है।

अनुदान के लिए पात्रता

- सोलर पंप संयंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि किसान कृषि एवं उद्यानिकी फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, माइक्रो स्प्रिंकलर अथवा स्प्रिंकलर संयंत्र काम में ले रहा हो। ग्रीनहाउस, शेडनेट हाउस और लो.टनल्स काम में लेने वाले किसान भी अनुदान के लिए पात्र हैं। पात्र किसानों को 3 एचपी, 5 एचपी और 7.5 एचपी के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र लगाने के लिए अनुदान दिया जा रहा है।
- 3 एचपी के सौर पंप संयंत्र के लिए आवेदन करने के लिए किसान के पास में 0.4 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। उसके पास एक हजार घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या 400 घन मीटर क्षमता की डिग्गी या 600 घन मीटर क्षमता का फार्म पौंड या 100 घन मीटर क्षमता का जल हौज अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना चाहिए।

- 5 एचपी के सौर पंप संयंत्र में आवेदन के लिए किसान के पास 0.75 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। साथ ही 2000 घन मीटर क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी या फार्म पौंड अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना चाहिए।
- इसी प्रकार 7.5 एच.पी के सौर पंप संयंत्र के लिए किसान के पास में 1.0 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है। साथ ही 7500 घन मीटर की क्षमता का जल संग्रहण ढांचा या डिग्गी अथवा अधिकतम 100 मीटर गहराई का भूमिगत जलस्रोत होना जरूरी है।

किसान ऐसे कर सकते हैं आवेदन

परियोजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार कार्ड के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

6218 मछुआरे प्राप्त कर रहे नियमित रोजगार और आमदनी

आदिवासी मछुआरों को आर्थिक संबल दे रहा शून्य राजस्व आजीविका मॉडल

जयपुर. मरुभूमि में भी न केवल मत्स्य पालन हो सकता है, बल्कि इसमें रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। राज्य सरकार के नवाचारों से यह संभव हो रहा है। सरकार ने मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में आय और रोजगार के संसाधन विकसित करने की पहल की है। मत्स्य पालन में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के तहत उदयपुर के जयसमंद बांध, डूंगरपुर के कडाना बैक वाटर और बांसवाड़ा के माही बजाज सागर में शून्य राजस्व आजीविका मॉडल के तहत आदिवासी मछुआरा समितियों द्वारा मछली पालन कर आय के साधन विकसित किए जा रहे हैं।

यह है शून्य राजस्व आजीविका मॉडल

शून्य राजस्व आजीविका मॉडल के तहत विभाग की ओर से उदयपुर के जयसमंद बांध, डूंगरपुर के कडाना बैक वाटर और बांसवाड़ा के माही बजाज सागर में आदिवासी मछुआरों के लिए आजीविका सृजन का कार्य किया जा रहा है। साथ ही आदिवासी मछुआरों को मछली की प्रजाति और आकार के अनुसार मछली पकड़ने का भुगतान विभाग कर रहा है। मत्स्य विकास के लिए 60 लाख आंगुलिक मत्स्य बीज का संचयन भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त जयसमंद बांध पर आधुनिक मत्स्य लेंडिंग सेंटर का निर्माण भी करवाया गया है।

आजीविका मॉडल से 6218 सदस्यों को मिल रहा नियमित रोजगार

मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति गामड़ी, हीरावत, पाटन, पानी कोटड़ा, मेथूड़ी, देवड़ा तालाब एवं तोरण माहुड़ी जयसमंद बांध, उदयपुर, मत्स्य उत्पादक समिति कोटड़ा, सेलोता, सालेड़ा एवं वंडा डोकर कडाना बैक वाटर बांध, डूंगरपुर और मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति देवगढ़, बस्सीपाड़ा, महुखोरा एवं खजुरी माही बजाज सागर बांध,बांसवाड़ा सहित कुल 57 आदिवासी मत्स्य उत्पादक सहकारी समितियों के 6218 सदस्य आजीविका मॉडल के माध्यम से नियमित रोजगार और आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा किसान साथी पोर्टल

डीबीटी... 1378 करोड़ का हस्तांतरण, 11 लाख से अधिक आवेदन

30 लाख किसानों को बीज मिनीकिट का वितरण

जयपुर. किसानों को अधिक सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से शुरू किया गया किसान साथी पोर्टल आज सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है। पोर्टल के जरिए राज्य के किसानों को ईज ऑफ डुइंग फार्मिंग के रूप में सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी और आवेदन इसी पोर्टल से किया जा सकता है। किसान साथी पोर्टल के माध्यम से बीज, उर्वरक व कीटनाशी के लाइसेंस जारी करने की सुविधा भी प्रदान की गई है और अब तक 50 हजार से अधिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। किसान साथी पोर्टल के माध्यम से ड्रिप, स्प्रिंकलर, पॉली हाउस, पाइपलाइन, फार्म पौंड, कृषि यंत्र आदि सभी योजनाओं के लिए अब तक 11 लाख से अधिक किसान आवेदन कर चुके हैं। अब तक लगभग दो लाख से अधिक किसानों को 1378 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किए जा चुके हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पोर्टल में लॉटरी निकालने की सुविधा भी मुहैया कराई गई है।

किसान साथी पोर्टल की विशेषताएं

- सम्पूर्ण प्रक्रिया पेपर लैस
- जन आधार के जरिए आवेदन
- आवेदन के हर चरण का एसएमएस
- भौतिक सत्यापन मोबाइल से ऑनलाइन ही किया जाता है।
- अनुदान जन आधार से जुड़े बैंक खातों में ऑनलाइन जमा होता है।

राज किसान साथी पोर्टल पर बनाए 11 मोबाइल ऐप

- **राज किसान सुविधा ऐप:** राज्य सरकार द्वारा खेती से जुड़ी योजनाओं और अनुदान की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस ऐप का विकास किया गया है।
- **राज किसान क्रेता/विक्रेता मोबाइल ऐप:** खरीदार और विक्रेताओं के पंजीयन के लिए राज किसान क्रेता/विक्रेता मोबाइल ऐप बनाया गया है।
- **राज किसान साथी वेरिफिकेशन मोबाइल ऐप:** किसान साथी पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है जिसके माध्यम से क्षेत्र निरीक्षण की स्थिति में मौका रिपोर्ट और मौके पर जियोटैग्ड फोटोग्राफ अपलोड किए जाते हैं।
- **राज किसान खजूर ऐप:** खजूर के पौधों की खरीद व बिक्री के लिए किसानों द्वारा यह ऐप उपयोग में लिया जा रहा है।
- **राज किसान जैविक ऐप:** जैविक उपज करने वाले किसान और जैविक उपज खरीदने वाले व्यापारी इस पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अभी तक हजारों किसानों और 500 व्यापारी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं।
- **राज एग्री क्यूसी मोबाइल ऐप:** बीज, उर्वरक और कीटनाशी की गुणवत्ता जांच के लिए सैम्पल लेने की प्रक्रिया को इस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक 50 हजार से ज्यादा सैम्पल इसके माध्यम से ऑनलाइन लिए जा चुके हैं।
- **राज किसान सत्यापन मोबाइल ऐप:** जन आधार के माध्यम से किसानों की समस्त जानकारी ऐप पर उपलब्ध हो जाती है और ऐप के द्वारा कृषक बीज मिनीकिट प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किशन लाल को मिला कृषक साथी योजना का लाभ

चित्तौड़गढ़ के किशन लाल जाट को बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ मिला। उन्होंने बताया कि उनके किसी परिचित के द्वारा उन्हें किसान साथी पोर्टल के बारे में जानकारी मिली। योजना के तहत फार्म पौण्ड निर्माण के लिए आवेदन किया था। कुछ समय बाद ही फार्म पौंड का निर्माण किया गया और ऑनलाइन ही उनका भौतिक सत्यापन हुए। दो दिन के अंदर ही उनके बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान हो गया।

किसानों को अब खेती के लिए महंगे कृषि उपकरण खरीदने की नहीं जरूरत

1315 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित, कम किराए पर मिल रहे कृषि उपकरण

जयपुर. प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को राज्य सरकार की ओर से सस्ती दर पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए अब तक 1315 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। यह सेंटर क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियोंऔर कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से स्थापित किए गए हैं।

कस्टम हायरिंग केन्द्रों को कृषि विभाग की ओर से दिए जा रहे अनुदान के माध्यम से कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इन केंद्रों पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद की जाती है। किसान केन्द्रों से जरूरत के कृषि यंत्रों को किराए पर लेते हैं तथा खेती में इस्तेमाल करते हैं। इस सुविधा से किसानों पर आर्थिक भार नहीं पड़ता। उन्नत तकनीकों को काम में लेकर उनके लिए कृषि का काम आसान हो जाता है।

1500 कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए 150 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित

सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए गत 4 वर्षों में 86 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 1315 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2022-23 में राजस्थान कृषि तकनीक मिशन के तहत जीएसएस और केवीएसएस के माध्यम से 1500 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 600 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 500 हायरिंग केंद्र स्थापित करने की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

80 प्रतिशत की वित्तीय सहायता

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 10 लाख रुपए की लागत से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना की गई है। इनके लिए राज्य सरकार की ओर से ट्रैक्टरमय कृषि यंत्रों के क्रय पर लागत का अधिकतम 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। जयपुर जिले में ग्राम सेवा सहकारी समिति धानक्या के व्यवस्थापक वासुदेव शर्मा ने बताया कि जनवरी 2022 में कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैरो, पलाऊ, थ्रेशर जैसे उपकरण के क्रय पर समिति को 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। केंद्र के माध्यम से अब तक 370 किसानों को कम दर पर उपकरणों को किराए पर देकर लाभान्वित किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर जिले में ही ग्राम सेवा सहकारी समिति कालवाड़ के व्यवस्थापक मोहन लाल सैनी ने बताया कि जनवरी 2022 में कस्टम हायरिंग केंद्र के लिए राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

सरकार दे रही भरपूर प्रोत्साहन, अब मिलेंगे 40 हजार रुपए

कृषि शिक्षा में बेटियों का बढ़ता रुझान
सरकार दे रही प्रोत्साहन राशि

जयपुर. कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कृषि शिक्षा के प्रति छात्राओं का रुझान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए बजट घोषणा 2023-24 में 'राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन' की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुना तक बढ़ोतरी की है।

मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक मिल रही 5 हजार से 15 हजार की राशि को बढ़ाकर अब 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि बालिकाएं कृषि के क्षेत्र में नवीनतम विधाओं का अध्ययन करें और औपचारिक शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे न केवल परिवार की आय बढ़ेगी बल्कि वे राज्य और देश की समृद्धि में भी योगदान देंगी।

यूं मिलेगा छात्राओं को फायदा

मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय लेकर अध्ययन करने वाली 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष अब 5 हजार की बजाय 15 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। कृषि विज्ञान से स्नातक के विषयों जैसे कि उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही स्नातकोत्तर (एम.एस.सी. कृषि) में अध्ययन करने वाली छात्राओं को 12 हजार की बजाय 25 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। इसी प्रकार कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15 हजार की बजाय 40 हजार रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम 3 वर्ष) प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

दिव्या और अमीषा को मिला फायदा

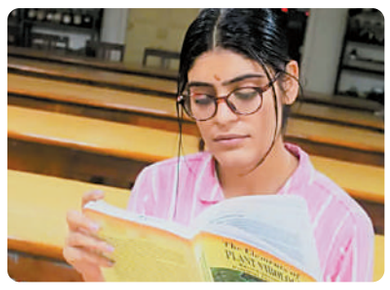

जयपुर के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से कृषि संकाय में एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा दिव्या गुर्जर ने कहा कि योजना के तहत बीएससी के चारों वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इसके बाद एमएससी में कृषि संकाय में प्रवेश लेने के बाद भी उन्हें दोनों वर्ष 12 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। दिव्या की शुरू से ही कृषि के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की इच्छा थी।

उदयपुर के जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के कृषि संकाय में अध्ययनरत बीएससी की छात्रा अमीषा राठौड़ ने योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना के कारण उन्हें कृषि विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है। वे चाहती हैं कि वे कृषि की नवीनतम तकनीकों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखें और इस क्षेत्र में कोई नवाचार करें।

84 हजार 583 छात्राओं को मिले 55 करोड़ 17 लाख 87 हजार रुपए

वर्ष	लाभान्वित छात्राओं की संख्या	प्रोत्साहन राशि (रुपए में)
2018-19	11,605	7 करोड़ 87 लाख 69 हजार
2019-20	15,780	9 करोड़ 30 लाख 6 हजार
2020-21	14,647	10 करोड़ 75 लाख 23 हजार
2021-22	20,867	12 करोड़ 84 लाख 56 हजार
2022-23	21,684	14 करोड़ 40 लाख 33 हजार

ये कर सकते हैं आवेदन

मिशन में आवेदन करने के लिए छात्रा का राजस्थान का मूल निवासी होना तथा किसी भी राजकीय एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कृषि संकाय में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

यह चाहिए दस्तावेज

कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्द्धन मिशन में आवेदन करते समय जन आधार कार्ड, गत वर्ष की अंकतालिका और मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होता है।

यूं करें आवेदन

मिशन में आवेदन की इच्छुक छात्राएं ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से राज किसान साथी पोर्टल पर प्रोत्साहन राशि के लिए आवेदन कर सकती हैं। योजना अथवा आवेदन के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्राएं निकट के किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी या जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (विस्तार) से भी सम्पर्क कर सकती हैं।

खेतों में तारबंदी के लिए 48 हजार रुपए तक अनुदान

कृषक साथी योजना से फसलें हुई सुरक्षित

जयपुर. आवारा पशुओं से फसल को बचाना किसानों के लिए मुश्किल बना हुआ था। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों की जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबंदी पर अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेकर किसान अपने खेतों की तारबंदी कर रहे हैं। उनके खेतों में फसलों का नील गाय, आवारा पशु व जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचाव हो रहा है। इससे किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है।

18 हजार से अधिक किसानों को मिले 66 करोड़ रुपए

लघु और सीमांत कृषकों के लिए 60 प्रतिशत तक अनुदान

योजना में लघु एवं सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए (जो भी कम हो) देय है। अन्य कृषकों के लिए लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रु. (जो कम हो) का अनुदान दिया जा रहा है। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत गत 4 वर्ष में तारबंदी के लिए 18 हजार 907 किसानों को 62 लाख 54 हजार मीटर तारबंदी के लिए 66 करोड़ 13 लाख 96 हजार रुपए की राशि दी गई। कृषि बजट 2023-24 की घोषणा में एक लाख किसानों को 40 हजार किलोमीटर की तारबंदी के लिए 444 करोड़ 40 लाख रुपए दिया जाना प्रस्तावित है। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि किसान के पास 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर हो। इससे कम भूमि होने पर भी राज्य सरकार द्वारा दो या दो से अधिक किसानों के कृषक समूह, जिसके पास 1.5 हैक्टेयर या अधिक भूमि हो, को योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 10 किसानों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि पर तारबंदी करने पर इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 56 हजार रुपए प्रति किसान अनुदान देय है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जोत का आकार छोटा होने के कारण भूमि की न्यूनतम सीमा 1.50 हैक्टेयर के स्थान पर 0.5 हैक्टेयर की गई है। योजना के अंतर्गत खेत में तारबंदी के लिए कृषक को 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान दिया जा रहा है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में तारबंदी में आवेदन की प्रक्रिया 30 मई 2022 से पूर्णत: ऑनलाइन कर दी गई है। जिसमें किसान लाभ लेने के लिए राज किसान साथी पोर्टल पर जनआधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं किसानों को अधिकतम 6 माह पुरानी जमाबंदी की नकल के साथ बैंक पासबुक की प्रति भी देनी होगी।

इन्हें हुआ लाभ

झालावाड़ के ग्राम झुमकी निवासी नरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि उन्हें वर्ष 2021 में खेत में तारबंदी के लिए 40 हजार रुपए का अनुदान मिला था। तारबंदी से प्याज की खेती व संतरे का बगीचा सुरक्षित हुआ है। तारबंदी के कारण खेत में पशुओं का आना रुक गया है। वे बताते हैं कि उनकी आय में 2 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक की होगी भर्ती

जयपुर. कृषि विभाग ने सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 और प्रयोगशाला सहायक के 20 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भर्ती कार्यालय को अभ्यर्थना भेजी है। कृषि विभाग योजनाओं का लाभ तत्परता से किसानों को देने के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए नए पद सृजन के साथ रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है।

3 लाख 75 हजार से अधिक किसानों ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐप पर सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी

राज किसान सुविधा ऐप: किसान घर बैठे ले रहे उन्नत विधाओं की जानकारी

जयपुर. वर्ष 2018 में सरकार बनने के साथ ही राज्य सरकार किसानों के लिए नई-नई योजनाएं ला रही है। इन योजनाओं के साथ उन्नत विधाओं की जानकारी किसानों को आसानी से मिल सके। इसके लिए सरकार ने 'राज किसान सुविधा ऐप' विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अब घर बैठे एक ही प्लेटफार्म पर मिल रही है। साथ ही किसान इस ऐप के जरिए योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भी कर पा रहे हैं। ऐप से किसानों के समय की बचत और आवेदन की प्रक्रिया भी सुगम हो गई हैं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया था। सुविधा ऐप की लोकप्रियता बताती है कि महज दो महीने में ऐप पर 3 लाख 75 हजार से अधिक किसान रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं का लाभ और कृषि की नवीनतम विधाओं की जानकारी ले रहे हैं। कृषि विभाग की यह पहल किसानों को राहत पहुंचाने एवं सुगमता लाने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है।

ऐप का मिला फायदा तो यह बोले किसान

जयपुर जिला तहसील जोबनेर निवासी राजेश ने बताया कि उन्होंने राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड किया है। ऐप से उन्होंने फार्म पौंड, ग्रीन हाउस, तारबंदी की जानकारी प्राप्त की है। साथ ही घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन भी किया है। ऐप से उन्हें दफ्तर व ई-मित्र केन्द्र पर जाना नहीं पड़ा। राजेश अन्य किसानों को यह ऐप डाउनलोड करने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं।

जयपुर जिले के ग्राम नाथोरला निवासी किशन लाल सैनी ने बताया कि पहले वे पारंपरिक तरीके से खेती किसानी व पशुपालन का कार्य करते थे। लेकिन उन्होंने अब कृषि विभाग के अधिकारियों की पहल पर राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड कर लिया है। ऐप की सहायता से अब वे उन्नत विधाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है।

मिल रही हैं ये सुविधाएं

राज किसान सुविधा ऐप से किसानों को कृषि योजनाओं, मौसम अपडेट, खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेताओं की सूची मिल रही है। साथ ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, गोदामों की सूची, उन्नत कृषि कार्यों की वीडियो व विधियां, राज्य में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यातकों की सूची मोबाइल नंबर सहित ऐप पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कृषक के लिए तारबंदी, फार्म पौण्ड, डिग्गी जैसी अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें किसान इच्छित योजना में पात्रता की जांच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के साथ मौसम की सटीक जानकारी

इस ऐप के जरिए किसानों द्वारा कृषि विभाग की योजनाओं में किए गए आवेदन की नवीनतम स्थिति की भी जानकारी मिल रही है। ई-मित्र व कृषि कार्यालय में जाने की बजाय अब किसान घर बैठे ही आवेदन की नवीनतम प्रगति ऐप के माध्यम से किसी भी समय पता कर सकते हैं। ऐप पर मौसम संबंधी जानकारी भी उपलब्ध है, जिसे देखकर किसान फसल को सुरक्षित रखने और बुवाई को लेकर निर्णय कर सकते हैं।

हेल्प डेस्क भी उपलब्ध

अब किसानों को कृषि पर्यवेक्षक, पदस्थापित अधिकारी, किसान कॉल सेंटर, राजस्थान संपर्क एवं फसल बीमा कंपनियों के संपर्क नंबर की जानकारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केवल राज किसान सुविधा में जाकर हेल्पडेस्क पर क्लिक करना है, जिससे किसान संपर्क सूत्रों के द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं व शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

न्यूनतम समर्थन मूल्य का विकल्प दिया गया है। जिसके अंतर्गत किसान राज्य सरकार द्वारा घोषित फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कीटनाशक और उर्वरक विक्रेताओं की सूची का विकल्प दिया गया है।

गोदामों की सूची

इस विकल्प के माध्यम से किसान द्वारा फसल को निकटतम भंडारण कक्ष तक पहुंचाने के लिए गोदामों की सूची दी गई है। इसके माध्यम से किसान जिलों का चयन कर जिलों में उपलब्ध गोदाम को क्षमता, मालिक के मोबाइल नम्बर, उपलब्ध जगह और दर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पुरस्कृत कृषकों से कर सकते हैं संपर्क

आत्मा योजना के अंतर्गत कृषि, बागवानी और पशुपालन में नवाचार करने वाले कृषकों को पुरस्कृत किया जाता है। ऐप पर पुरस्कृत कृषकों के संपर्क सूत्र दिए गए हैं। जिनसे किसान उन्नत विधाओं की जानकारी ले सकते हैं।

पोर्टल से बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान देश में अव्वल, अब तक 19 हजार 900 करोड़ का फसल बीमा क्लेम वितरित

राज्य से प्रेरणा लेकर 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान' देश में लागू

जयपुर. खेती-किसानी का कार्य करते समय किसानों को कभी मौसम की तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है। इसके चलते किसान फसल की पैदावार का पूरा लाभ नहीं ले पाते। किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा समय पर बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने खरीफ 2021 से किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू किया। सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने भी इस अभियान को पूरे देश में लागू किया है।

210 लाख पॉलिसियों को मिला बीमा क्लेम

प्रदेश में गत चार वर्षों में लगभग 956.42 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है। अब तक लगभग 210 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर पोर्टल के माध्यम से 19 हजार 900 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित कर राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। रबी सीजन 2018-19 में 31.06 लाख व खरीफ सीजन 2019 में 46.06 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2019-20 में 40.11 लाख, खरीफ सीजन 2020 में 67.02 लाख, रबी सीजन 2020-21 में 40.43 लाख, खरीफ सीजन 2021 में 186.30 लाख, रबी सीजन 2021-22 में 157.55 लाख, खरीफ सीजन 2022 में 216.01 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2022-23 में लगभग 171.88 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है।

राजस्थान को मिला पुरस्कार

फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में इसी वर्ष अप्रैल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को दो पुरस्कारों से सम्मानित किया। राज्य को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण में प्रथम और योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसानों द्वारा खरीफ फसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत और रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम का भुगतान किया जाता है।

योजना से कृषक सालाराम और रघुवीर को मिला संबल

जयपुर जिले की तहसील फुलेरा निवासी सालाराम बाना ने बताया कि वे अपने खेत में रबी और खरीफ दोनों की फसल लेते हैं। गत वर्ष गेहूं की फसल कटाई के बाद बरसात होने के कारण पानी भरने से पड़ी हुई पूरी फसल खराब हो गई। बाना बताते हैं कि फसल बीमा योजना में फसल का बीमा करवाने के कारण ही वे बर्बाद होने से बच गए। उनके खाते में बीमा क्लेम के रूप में 60 हजार रुपए जमा हुए। वह कहते हैं कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। इसी प्रकार जयपुर जिले के ग्राम मागलवाड़ा निवासी रघुवीर प्रसाद ने बताया कि गत वर्ष उन्होंने अपने खेत में मूंग की फसल बोई थी, जो जलभराव के कारण नष्ट हो गई थी। नुकसान के बावजूद वे इस बात से राहत में थे कि उन्होंने योजना के तहत मूंग की फसल का बीमा करवाया हुआ था। रघुवीर बताते हैं कि फसल खराबे के एवज में 55 हजार रुपए का क्षतिपूर्ति क्लेम उनके बैंक खाते में प्राप्त हुआ।

आजीविका ऋण योजना

ग्रामीण परिवारों को मिल रहा रोजगार

जयपुर. राजस्थान में सहकारिता विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के लिए अहम योजना प्रारम्भ की है। राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना देश में नई पहल बताई जा रही है। इसमें ग्रामीण परिवारों को आजीविका से जोड़ने के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी।

सहकारिता विभाग की राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना में 1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। पात्र आवेदक को 25 हजार रुपए से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक उपलब्ध करा रहे हैं।

राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ऋण आवेदन पोर्टल बनाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए। इस योजना में आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य कर रहे पशुपालकों को फायदा मिले। ग्रामीण क्षेत्र में पांच वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान इत्यादि के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों हेतु भी प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण दिया जायेगा। पोर्टल से पारदर्शिता के साथ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं आदि स्थानों से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट उपलब्ध होने पर आवेदक अपने घर अथवा साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकता है।

बीज उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन रहे 2 लाख से अधिक किसान

मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना
किसानों के खेतों में खुशहाली का बीज

जयपुर. प्रदेश में 2 लाख से अधिक किसान अपने खेत में बीज का उत्पादन कर खुशहाली और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यह संभव हुआ है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना से। इस योजना में किसानों को बीज उत्पादन के लिए कृषि विभाग की ओर से उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं और उन्हें अपने उपयोग के लिए बीज उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग और उड़द सहित अन्य फसलों के बीजों का नि:शुल्क वितरण किया गया है। योजना से किसानों की उपज बढ़ी है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। फसल की बुवाई के समय उन्नत बीज उपलब्ध नहीं होने की समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो गई है।

45 हजार क्विंटल प्रमाणित बीज का नि:शुल्क वितरण

योजना के लिए पात्रता

योजना में निशुल्क उन्नत बीज का वितरण 50 कृषकों का समूह बनाकर किया जाता है। समूह के चयन में विशेष ध्यान रखा जाता है कि 50 प्रतिशत लघु और सीमांत कृषकों की भागीदारी हो।

गिरधारी, ममता और रामहेतार को मिला नि:शुल्क बीज

जयपुर जिले के माच्छरखानी ग्राम की निवासी ममता कुमावत कहती हैं कि उन्हें चने का 15 किलोग्राम का गुणवत्ता युक्त बीज मिला था, जिसकी उन्होंने बुवाई की थी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बाजार से महंगा बीज खरीदना मुश्किल था। कभी-कभी तो उनके खेत खाली पड़े रहते थे। वे कहती हैं कि नि:शुल्क बीज दिए जाने के बाद अब उनके खाली खेतों में फसल लहलहाने लगी है। साथ ही, अब वह अन्य महिला किसानों को भी उन्नत बीज मुहैया करवा रही हैं।

जयपुर जिले के ग्राम माच्छरखानी निवासी गिरधारी मामोडिया ने बताया कि उन्हें जन आधार कार्ड के माध्यम से 15 किलोग्राम उन्नत किस्म का चने का बीज नि:शुल्क दिया गया। उन्होंने 0.2 हैक्टेयर भूमि में बीज की बुवाई की थी।

झालावाड़ जिले के ग्राम कंवलदा निवासी रामहेतार ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार के द्वारा गेहूं का नि:शुल्क बीज दिया गया है, जिससे उन्होंने अपने खेत में बुवाई की है। इस बीज से जो भी पैदावार होगी उस बीज का वे आगे भी बीज बुवाई में उपयोग करेंगे। उनका कहना है कि बीज प्राप्त करके वे बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें पहले बीज लेने के लिए बाजार में एक मोटी रकम चुकानी पड़ती थी।

24 करोड़ रुपए के उन्नत बीजों का नि:शुल्क वितरण

योजना के तहत विगत 4 वर्षों में 24 करोड़ रुपए की लागत से 2 लाख 29 हजार 74 किसानों को 49 हजार 245 क्विंटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया है। इन किसानों द्वारा 62.99 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बीज की बुवाई की गई, जिसके कारण वर्ष 2019 से 2022 तक 7 लाख 67 हजार क्विंटल उन्नत बीज उत्पादित किया गया है। योजना की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में योजना के आकार को दोगुना कर दो वर्षों में 50 हजार किसानों को लाभान्वित करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ रुपए की लागत से किसानों को 35451 क्विंटल बीज का वितरण किया गया है, जिससे लगभग 5 लाख 88 हजार क्विंटल उन्नत बीज उत्पादन का लक्ष्य है।

हरी-बैंगनी गोभी, काले-पीले टमाटर और लौकी जैसे कद्दू की उपज

अर्जुनपुरा के प्रगतिशील किसान जयप्रकाश ने लिखी सफलता की कहानी

जयपुर. कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत के अर्जुनपुरा गांव के जयप्रकाश गहलोत प्रगतिशील किसान के रूप में पहचान बना चुके हैं। वह खेतों में रासायनिक खाद.कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करते। उनके खेतों की रंग-बिरंगी सब्जियों की कोटा ही नहीं वरन अन्य क्षेत्रों में भी खासी मांग है। खेतों में जहां हरी, बैंगनी, पीली और सफेद गोभी की उपज होती है वहीं काली और लाल रंग की गाजर होती है।

जयप्रकाश के खेतों में लाल, काले और पीले टमाटर देखकर लोग आश्चर्य करते है। कद्दू तो कोई पहचान नहीं सकता, इनके खेतों में लौकी की भांति लम्बे आकार के कद्दू की पैदावार होती है। इनके खेतों की पत्ता गोभी सब्जी के साथ सलाद के रूप में बहुत पसंद की जा रही है। मटर भी इतने मीठे हैं कि लोग चाव से खाते हैं। जयप्रकाश इसके साथ ही शुगर फ्री आलू की भी उपज करते हैं जिन्हें पहले इंदौर भेजा करते थे और अब पैप्सिको कंपनी को गुड़गांव और पंजाब भेजते हैं।

टनल तकनीक से उगा रहे सब्जियां

जयप्रकाश सीजन से पहले ही अपने खेतों में सब्जियों की बुवाई की तैयारी शुरू कर देते हैं। जिससे सीजन से करीब एक माह पहले ही उनके खेतों की उपज बाजार में आ जाती है। जयप्रकाश इसके लिए टनल तकनीक अपनाते हैं। इस तकनीक में एक फेब्रिक लगाते हैं। जिससे धूप, सर्दी से पौधों को नुकसान नहीं होता है और रोग भी नहीं लगता है। इस तकनीक से पूरा पौधा कपड़े से ढका रहता है। जिसके कारण बिना कीटनाशक का प्रयोग किए उसके खेतों में उत्पादित सब्जियों में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। गहलोत सब्जियों में सर्वाधिक नुकसान करने वाली फलमक्खी के लिए फोरमैन ट्रेप पद्धति को अपनाते हैं। इस पद्धति से पूरी मक्खियां कैप्चर हो जाती हैं।

छोटी जमीन में बड़ी बचत

उनके पास 20 बीघा जमीन है। इसमें 2 बीघा में ऑर्गेनिक सब्जियां पैदा करते हैं। कोटा में ही उनके खेतों में उत्पादित सब्जियों की मांग इतनी ज्यादा है कि वह 10 फीसदी भी पूरी नही कर पाते। अपनी इस खेती से गहलोत सालाना 20 लाख रुपए तक की उपज करते हैं।

किसानी का काम करते हुए अंग-भंग या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक की सहायता

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसानों को दे रही संबल

जयपुर. किसानी का काम करते समय दुर्घटनावश अंग-भंग होने अथवा मृत्यु होने पर किसान को 2 लाख रुपए तक का आर्थिक सहयोग देने के लिए आरंभ की गई राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना किसान और उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। योजना के तहत 4 वर्षों में 11777 किसानों को 176.37 करोड़ रुपए का आर्थिक सम्बल मिल चुका है।

योजना के तहत राज्य में कृषि कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं में किसान और खेतिहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अंग-भंग होने की स्थिति में जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा कोई एक अंग कटकर अलग होने पर 50 हजार रुपए की मदद दी जाती है। योजना के तहत एक अंग विकलांगता पर 25 हजार रुपए, एक अंगुली कटने पर 5 हजार, दो अंगुली कटने पर 10 हजार और चार अंगुली कटने पर 20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल पर जन आधार और मोबाइल नंबर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

11777
पीड़ित किसानों को मिला 176.37 करोड़ का आर्थिक संबल

बिनसा देवी को मिली आर्थिक सहायता

जयपुर जिले में जमवारामगढ़ निवासी बिनसा देवी ने बताया कि कृषि कार्य करते समय उनके दाहिने हाथ की दो अंगुलियां कट गई थीं। चिरंजीवी योजना के तहत उनका नि:शुल्क उपचार हुआ और साथ ही राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत दस हजार रुपए की सहायता राशि भी उन्हें मिली है।

योजना के तहत 11 हजार 777 किसान लाभान्वित

योजना के तहत 11777 किसानों को मंडी समितियों के जरिए 176.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया हैं। जिनमें से दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक 989 किसानों को 1381.98 लाख रुपए का, वर्ष 2019-20 में 2 हजार 981 किसानों को 4303.50 लाख रुपए का, वर्ष 2020-21 में 2 हजार 275 किसानों को 3457.10 लाख रुपए का, वर्ष 2021-22 में 2 हजार 806 किसानो को 4227.10 लाख रुपए का और 2022-23 में सितम्बर तक 2726 किसानों को 4269 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

कृषि क्षेत्र में राजस्थान नए आयाम स्थापित कर रहा है

राजस्थान कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बाजरा, तिलहन व दलहन के उत्पादन में जहां राज्य नंबर वन है, वहीं, दूध और ऊन के उत्पादन में भी अव्वल है। प्रदेश के किसानों को पारंपरिक खेती के साथ ही आधुनिक कृषि पद्धति को भी अपनाना होगा। इससे उत्पादन में वृद्धि होगी व उपज की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

तारबंदी के लिए सरकार दे रही है 40 से 56 हजार रुपए तक का अनुदान

किसानों को खेतों की तारबंदी से मिली आवारा पशुओं से मुक्ति

झालावाड़ जिले के झुमकी गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार शर्मा को खेतों की तारबंदी करने के लिए 40 हजार रुपए मिले।

40 हजार किमी तारबंदी का लक्ष्य

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कृषि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 40 हजार किलोमीटर की तारबंदी के लिए 444 करोड़ 40 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। जबकि अब तक एक हजार 34 किसानों को लगभग 4 लाख मीटर तारबंदी पर 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

किसान की फसल को आपदा के अलावा आवारा पशु तथा नीलगाय से भी खतरा बना रहता है। खेत में आवारा पशु ना घुसे इसके लिए तारबंदी करना जरूरी है। अब सरकार इसके लिए भी हर किसान को पैसा दे रही है ताकि वह अपने खेत के चारों तरफ तारबंदी की लक्ष्मण रेखा खींच कर अपनी फसल की सुरक्षा कर सके। खेत में 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करने के लिए लघु व सीमांत कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। जबकि सामान्य किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि के एवज में 40 हजार रुपए बतौर अनुदान के दिए जा रहे हैं। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 56 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत एवं कृषक समूह में आवेदन कर्ता के पास कम से कम 1.5 हेक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए जबकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में जोत का आकार कम होने के कारण कम से कम 0.5 हेक्टेयर भूमि पर ही अनुदान दिया जा रहा है। सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि तथा समूह की भूमि की सीमाएं निर्धारित पेरीफेरी में होनी चाहिए। आवेदन के समय खेत के दस्तावेज तथा जमाबंदी की नकल जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। राजस्व विभाग द्वारा जारी खेत का नक्शा होना जरूरी है। तारबंदी के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के बाद तारबंदी स्थापित किए जाने पर ही अनुदान जारी किया जाता है।

बुवाई से फसल की अच्छी कीमत तक, अन्नदाता को हर कदम पर मिल रहा राजस्थान सरकार का साथ

'समृद्ध किसान, खुशहाल राजस्थान' के मिशन पर राज्य सरकार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अन्नदाता के हितों को प्राथमिकता पर रखकर कई योजनाएं तैयार की हैं। इससे प्रदेश का किसान समृद्ध और खुशहाल हुआ है। राजस्थान सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों से फसलों की बुवाई से लेकर उनके बेचने और भुगतान को सुलभ बनाया गया है। इसके अलावा राज्य में कम दरों पर खाद, बीज उर्वरक और बिजली की उपलब्धता ने खेती-किसानी को सुलभ बनाया है।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों के हितों को लेकर सदा संवेदनशील रही है। इस कार्यकाल में शुरू की गई कई योजनाएं इस बात की गवाही देती हैं। राजस्थान की विषम परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार ने खेती के तरीकों में ऐसे कई नवाचारों को बढ़ावा दिया है, जिनसे कम पानी और कम लागत में अधिक उपज पैदा की जा सके। इससे किसानों की आय में बढ़ावा देखने को मिला है। पिछले साल राज्य के बजटीय इतिहास में पहली बार कृषि बजट पेश कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के सम्मान के प्रति सरकार के समर्पण पर मुहर लगाने का काम किया।

इसके अलावा 'राज किसान साथी' सिंगल विंडो मोबाइल एप बनाने जैसे कदम उठाकर तकनीक के माध्यम से भी कृषि का आधुनिकीकरण करने की सफल कोशिशें हुई हैं। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में पहल कर राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

5 बिंदुओं से समझिए कैसे योजनाओं से खेतों से बढ़ी है पैदावार

सिंचाई के लिए

- ट्यूबवेल या कुएं से बिना छीजत पानी पहुंचाने के लिए लघु एवं सीमान्त किसानों को पाइप खरीद की लागत का 18 हजार और अन्य कृषकों को लागत के 15 हजार तक का अनुदान। इससे 20-25% कम पानी में ही खेती संभव।
- वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु एवं सीमांत किसानों को ₹73,500 कच्चे पौंड पर, ₹1.35 लाख प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पर और अन्य कृषकों को क्रमशः ₹63 हजार और ₹1.20 लाख तक का अनुदान। नहरी क्षेत्रों में डिग्गी का निर्माण कर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों को 3.40 लाख रुपए और अन्य कृषकों को तीन लाख रुपए तक का अनुदान।

फसलों का संरक्षण

- नीलगाय और आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ₹48 हजार और अन्य किसानों को ₹40 हजार तक का अनुदान।
- पौधा संरक्षण हेतु रसायन, खरपतवारनाशी, बायो एजेंट, बायो पेस्टिसाइड की खरीद पर ₹500 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान।

बुवाई क्षेत्र में

- 55 लाख 70 हजार बीज मिनिकिट (मक्का, बाजरा, मोंठ, उड़द, मूंगफली, तिल, सरसों, मसूर, अलसी) के निःशुल्क वितरण किए गए। 4 लाख 90 हजार चारा बीज मिनिकिट (जई, रिजका, बरसीम, ज्वार चरी) निःशुल्क वितरण किए गए।
- 102.43 लाख क्विंटल उन्नत/प्रमाणित बीज का वितरण किया गया। ताकि कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज मिले और उत्पादन एवं उत्पादकता अच्छे से हो।
- उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग से समय व श्रम की बचत और लागत कम करने के लिए अनुमोदित यंत्रों की खरीद पर 40 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान। उन्नत कृषि यंत्र खरीद ना पाने की स्थिति में कृषकों को किराए पर यंत्र देने के लिए 10 लाख रुपए तक की लागत से GSS/KUSS पर कस्टम हायरिंग केंद्रो की स्थापना।
- क्षारीय भूमि को सुधारने और पोषक तत्व के रूप में 2 हेक्टेयर तक 50% अनुदानित दर से जिप्सम उपलब्ध करवाया।
- सही उपज के लिए मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्व, क्षारीयता और लवणीयता की जांच तथा पानी के नमूने की जांच के लिए मात्र पांच रुपए में प्रति नमूना जांच का प्रावधान।

भंडारण

- **पैक हाउस/खेत संग्रहण इकाई के लिए:** ₹2 लाख प्रति इकाई का अनुदान। **समन्वित पैक हाउस (कन्वेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग इकाइयों, धोने, सुखाने और तोलने के लिए सुविधाओं के साथ 9*18 मीटर):** ₹25 लाख प्रति इकाई का अनुदान।
- **प्री-कूलिंग इकाई:** ₹12.5 लाख (अधिकतम 6 मीट्रिक टन क्षमता) का अनुदान। **कोल्ड रूम (स्टेजिंग):** ₹5.25 लाख तक प्रति इकाई (अधिकतम 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज) का अनुदान। **रेफ्रिजरेटर वेन:** 4 मीट्रिक क्षमता से अधिक के लिए ₹9.10 लाख तक का अनुदान।

बिक्री

- कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडी यार्डों के भवन निर्माण व रखरखाव पर पिछले चार वर्षों में ₹536 करोड़ से अधिक व्यय किया गया। पिछली तीन बजट घोषणाओं में 33 जिलों में 34 मिनी फूड पार्क, 1 मेगा फूड पार्क, 1 मिनी एग्रो पार्क और 1 एग्रो पार्क स्थापना की घोषणा। 22 स्वतंत्र मंडियों की स्थापना, 20 गौण मंडियों की स्थापना। निजी क्षेत्र में 675 गौण मंडियों की स्थापना। कृषि उपज मंडी समिति बिलाड़ा सौंफ की जिन्स विशिष्ट मंडी स्थापित।

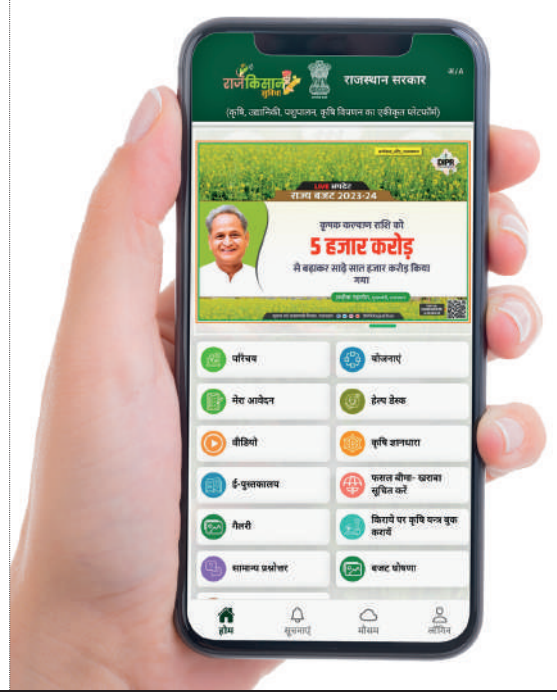

ऐप के जरिए योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भी हो रहा...

राज किसान सुविधाएं ऐप पर मिल रहीं योजनाओं की जानकारी

कृषि क्षेत्र की जनकल्याणकारी योजनाओं व उन्नत विधाओं की जानकारी किसानों तक आसानी से मुहैया कराने के लिए राजस्थान कृषि विभाग का 'राज किसान सुविधाएं ऐप' कारगर साबित हो रहा है। इससे किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अब घर बैठे एक ही प्लेटफार्म पर मिल रही है। किसान इस ऐप के जरिए योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भी कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में राज किसान सुविधाएं ऐप लॉन्च किया था। विभाग के अनुसार ऐप से किसानों को कृषि योजनाओं, मौसम अपडेट, खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेताओं की सूची, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, गोदामों की सूची, उन्नत कृषि कार्यों की वीडियो व विधियां, राज्य में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यातकों की सूची मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध है।

कृषक के लिए तारबंदी, फार्म पौंड, डिग्गी जैसी अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है जिसमें किसान इच्छित योजना में पात्रता की जांच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जैविक खेती के लिए 50 हजार किसानों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए

राजस्थान सरकार प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें लगभग 23.57 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसी तरह, किसानों में जैविक खेती की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए प्रति कृषक 5000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। काश्तकार इस राशि का उपयोग खेतों की उर्वरकता बढ़ाने में करेंगे। राज्य निधि से ही कृषक चयन, कृषक समूह गठन, मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आदि गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति प्रदान की है।

सरकार ने दिया 1038 करोड़ का अनुदान, 3 लाख किसानों को मिला फायदा

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना में प्रदेश का देश में पहला स्थान, राह दिखा रहा राजस्थान

राजस्थान के किसान खेती में वैज्ञानिक व विदेशी तकनीकी का इस्तेमाल करके अपने फसल के लाभ को चौगुना करने में लगे है। प्रदेश के किसान अपने खेतों में ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। इसकी वजह से कम पानी में भी उन्नत गेहूं, जौ, चना, सरसों, सब्जियां जैसी फसल की पैदावार करके लाभ कमा रहे हैं। यह संभव हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किसान हितैषी सोच की बदलौत, जिन्होंने किसानों को खेतों में आधुनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए 1038 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। खास बात यह है कि सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत खेतों में संयंत्रों की स्थापना में राजस्थान समूचे देश में अव्वल है। प्रदेश में वैज्ञानिक तकनीक से 3 लाख से अधिक किसान सिंचाई कर रहे हैं। खेत में आधुनिक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर भूमि होना जरूरी है और अधिकतम अनुदान 5 हेक्टेयर तक दिया जा रहा है।

नई तकनीकों से किसान बन रहे आत्मनिर्भर

सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के कारण खेती में नई तकनीकी का इजाद हुआ और किसान आत्मनिर्भर बने। खेतों में उपज बढ़ी तो किसानों की आय में चौगुना इजाफा हुआ है। किसानों को ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत अनुदान दिया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच एवं नित नए नवाचार से कृषि के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट बन गया है।

राज्य सोलर पम्प संयंत्र स्थापित करने में देश में पहले पायदान पर है तथा वहीं सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना में भी राज्य देश में शीर्ष स्थान पर है।

30 से 40 प्रतिशत तक पानी की बचत

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली सामान्य रूप से बागवानी फसलों की सिंचाई की सर्वोत्तम व आधुनिक विधि मानी जाती है। इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के माध्यम से स्रोत से खेत तक पूर्व-निर्धारित मात्रा में पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी को तो रोका ही जाता है, साथ ही यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने में भी सहायक है। इससे 30 से 40% तक पानी की बचत होती है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी सुधार होता है। राजस्थान इसका जीवंत उदाहरण है।

रामनारायण, दामाराम और तेजाराम की आय में हुआ चौगुना इजाफा

"जयपुर जिले के ग्राम कपड़ियावास निवासी रामनारायण ने बताया कि गांव में पानी की कमी होने के कारण उत्पादन कम होता था। लेकिन जब से सरकार द्वारा अनुदान पाकर खेतों में स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित किया है तब से कम पानी में गेहूं, जौ, चना, सरसों और सब्जियों की खेती बेहतर होने लगी है। इसी तरह जयपुर जिले के ग्राम बालूलाई निवासी दामाराम ने बताया कि वे पहले पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। पानी की कमी के कारण वे अधिकतम 5 बीघा भूमि में ही खेती कर पा रहे थे।

सरकार से अनुदान लेकर जब से ड्रिप संयंत्र लगाया है तब से खेती का दायरा दोगुना हो गया है। अब वे 10 बीघा भूमि में खेती कर रहे हैं। पहले 2 लाख रुपए सालाना लाभ होता था अब यह लाभ 15 लाख रुपए सालाना तक पहुंच गया है। जयपुर जिले के ही ग्राम खेड़ी अलूफा निवासी तेजाराम ने बताया कि वे पिछले 12 वर्ष से खेती का कार्य कर रहे हैं। जो खेती का उत्पादन पहले 6 बीघा भूमि में मिलता था। वहीं अब ड्रिप सिस्टम से 4 बीघा भूमि में होने लगा है।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

संरक्षित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 95% तक अनुदान दे रही राजस्थान सरकार

ग्रीन हाउस व शेडनैट हाउस ने बदली खेती की तस्वीर, किसानों को कम लागत में मिल रहा ज्यादा मुनाफा

42 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं से हमारे किसानों को मिल रहा है लाभ

राज्य में 42 हजार करोड़ रुपए की राशि से किसानों को अलग-अलग योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। किसानों का कर्ज माफ किया है। उन्हें हर महीने 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। प्रदेश में कृषि उपज मण्डियों का जाल बिछाया जा रहा है, जिनमें किसानों को उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं एवं व्यापारियों को व्यापार करने में आसानी हो गई है।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश के किसानों को न सिर्फ बेहतर कृषि के बेहतर और आसान विकल्प उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर है। बल्कि हमारे अन्नदाताओं की खून-पसीने से सींची हुई फसलों को प्राकृतिक प्रकोप और अन्य समस्याओं से सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को उनके खेतों में ग्रीन हाउस और शेडनैट हाउस लगाने के लिए 95% तक अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार की इस संवेदनशील पहल से किसान अधिक से अधिक संरक्षित खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे फसलें तो सुरक्षित रहती ही हैं, साथ ही जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारे किसान खेती को प्राकृतिक प्रकोपों व अन्य समस्याओं से बचाने और जल संरक्षण के लिए अपने खेतों में ग्रीन हाउस और शेडनैट हाउस का निर्माण कर कम क्षेत्रफल में अधिक और बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है और राज्य सरकार का कृषक कल्याण का सपना साकार हो रहा है।

राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 60 हजार किसानों को एक हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। बता दें कि किसान खेती और विशेषकर बागवानी फसलों के लिए ग्रीन हाउस और शेडनैट में खेती कर रहे हैं। इस संरक्षित ढांचे को लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी योजनाओं के कारण किसानों का इस खेती के प्रति आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। ग्रीनहाउस बहुत अधिक गर्मी या सर्दी से फसलों की रक्षा करते हैं, ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से पौधों की ढाल बनते हैं और कीटों को बाहर रखने में मदद करते हैं। प्रकाश, तापमान व पोषक तत्व नियंत्रण की वजह से ग्रीनहाउस मौसम की विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा मुनाफा देता है, जिससे पारंपरिक खेती की तुलना में संरक्षित खेती से उत्पादन व गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि हुई है। इस तकनीक से गैर-मौसमी फसलें उगाने में भी मदद मिलती है, जिनका बाजार में किसान को अच्छा मूल्य मिलता है।

ग्रीन हाउस संरचना से वर्षा जल को संचित कर ड्रिप संयंत्र से सिंचाई की जा रही है। इस खेती का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, जो कि राज्य में बहुत जरूरी है।

सरकार की ओर से मिल रही भरपूर मदद

- ग्रीन व शेडनैट हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को इकाई लागत का 50% तक का अनुदान देय है। इसी प्रकार प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष की बजट घोषणा में अनुदान की राशि बढ़ाते हुए अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के सभी कृषकों और प्रदेश के समस्त लघु, सीमांत कृषकों को 95% तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
- किसानों को 500 वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस स्थापित करने के लिए 1060 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 500 से 1008 वर्ग मीटर के लिए 935 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 1008 से 2080 वर्ग मीटर के लिए 890 रुपए और 2080 से 4000 वर्ग मीटर पर 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर इकाई लागत के आधार पर पात्रतानुसार 50, 70 अथवा 95% का अनुदान दिया जा रहा है।
- शेडनैट हाउस स्थापित करने के लिए एक हजार से 4 हजार वर्ग मीटर पर 710 रुपए प्रति वर्ग मीटर लागत के आधार पर नियमानुसार अनुदान दिया जाता है।

मेवाराम की आमदनी में हुआ 5 लाख का इज़ाफ़ा

*▪ **जयपुर** के गुढ़ा बालूलाई गांव के मेवाराम महरिया ने बताया कि उन्हें पहले 16 बीघा जमीन से 2 लाख रुपए तक की आमदनी होती थी। उन्होंने राज्य सरकार के सहयोग से 1.5 बीघा में ग्रीनहाउस स्थापित किया है, जिसमें वे खीरा व शिमला मिर्च की खेती करते हैं। अब उन्हें 6 से 7 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है।*

प्रहलाद को 1 बीघा से मिल रहा 8 लाख का मुनाफ

*▪ **जयपुर** के तिबारिया गांव के प्रहलाद सिंह भामू ने राज्य सरकार के अनुदान से 2 हजार वर्ग मीटर में ग्रीनहाउस स्थापित किया है। इसमें वे खीरा और टमाटर की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास 6 बीघा जमीन है जिससे वे पहले एक लाख रुपए कमा पाते थे। अब एक बीघा में 8 लाख रुपए तक का मुनाफा हो रहा है।*

किसानों पर नहीं पड़ रहा आर्थिक भार

कस्टम हायरिंग केंद्रों से कम किराए पर मिल रहे उपकरण

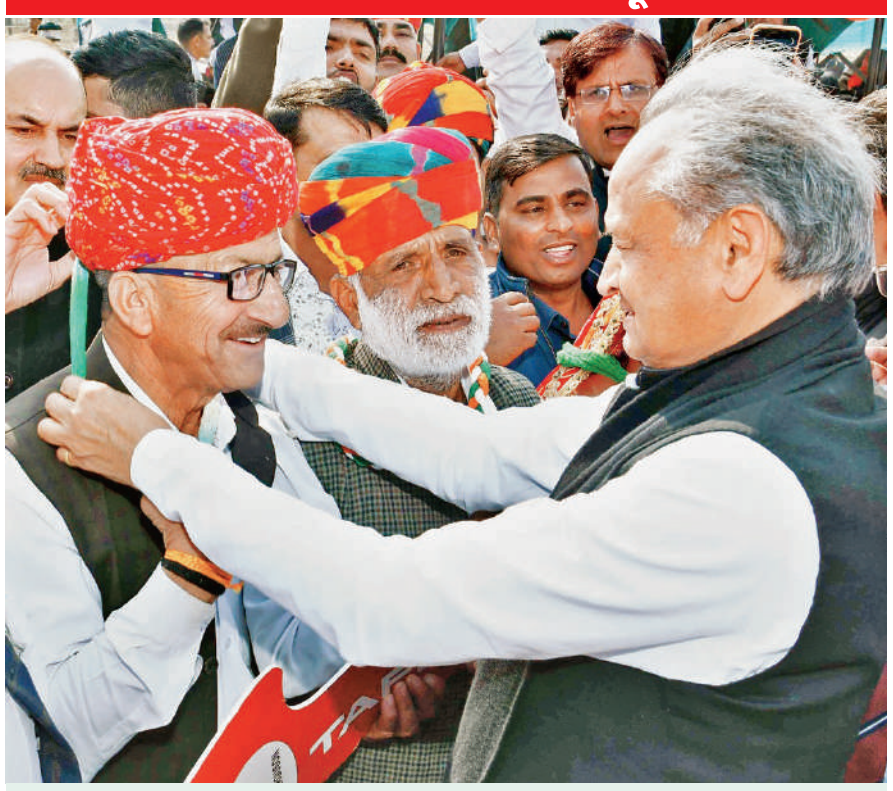

अच्छी खेती-बाड़ी और बागवानी के लिए उन्नत बीज, खाद और सिंचाई के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्रों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है। खेती में यंत्रीकरण से उत्पादन व उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण लघु व सीमांत कृषकों के लिए उन्नत व महंगे कृषि उपकरण क्रय कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इन्हीं किसानों को लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्रों को कृषि विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान के माध्यम से सहकारिता विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इन केंद्रों पर ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोटावेटर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जैसे उन्नत कृषि यंत्रों की खरीद की जाती है। किसान केंद्रों से जरूरत के कृषि यंत्रों को किराये पर लेते हैं और खेती में इस्तेमाल करते हैं। इस सुविधा से किसानों पर आर्थिक भार नहीं पड़ता।

कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ व्यय होंगे

20 लाख किसानों को मुफ्त में मिलेंगे सब्जियों के बीज

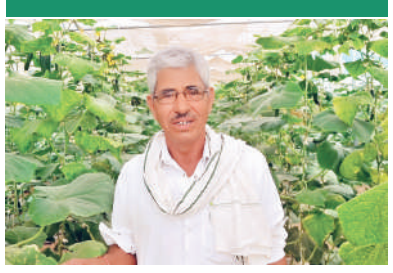

राज्य सरकार की ओर से 20 लाख किसानों को निशुल्क सब्जियों के बीज किट मिलेंगे। इस पर राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषक कल्याण कोष से 60 करोड़ रुपए व्यय होंगे। इससे प्रदेश के 5 लाख किसानों को 500 वर्गमीटर क्षेत्र में एकल फसल और 15 लाख किसानों को 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए कोम्बो किचन गार्डन किट उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोम्बो किचन गार्डन किट में खरीफ फसल के लिए टिण्डा, भिण्डी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर व बैंगन, रबी फसल के लिए पालक, गाजर, मिर्च, मटर, मूली, टमाटर व बैंगन और जायद फसल के लिए ककड़ी, टिण्डा, भिण्डी, लौकी व ग्वार के बीज शामिल हैं। इसमें खरीफ-2023 के लिए 7 लाख, रबी 2023-24 के लिए 11 लाख व जायद-2024 के लिए 2 लाख किट वितरण का लक्ष्य है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट वर्ष 2023-24 में इस सम्बन्ध में घोषणा की थी।

समस्याएं जानने के लिए प्रदेश में किसानों से संवाद कर रहा है आयोग

किसानों की समस्याओं के समाधान का मंच बना राजस्थान किसान आयोग

राजस्थान के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकार ने इसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसके सदस्यों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की है। आयोग ने किसानों से संवाद की शुरुआत की है। पहला कार्यक्रम भीलवाड़ा में हुआ। इसमें किसानों ने खेती से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान खेती को उन्नत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, एमएसपी समेत अन्य बिंदुओं पर बातचीत की गई। किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला ने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ही सीएम गहलोत ने राज्यभर में कृषक संवाद कार्यक्रम का आयोजित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को हाइटेक खेती के लिए आगे आना चाहिए। किसान कृषि के क्षेत्र की नई तकनीक को अपना कर फसल उत्पादन व आय बढ़ाने का प्रयास करें।

कृषक संवाद कार्यक्रम में विशेषज्ञ भी आ रहे हैं। भीलवाड़ा में कृषि अर्थशास्त्री और महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के पूर्व निदेशक डॉ. सुखदेव सिंह बुरड़क ने कहा कि बिना संवाद के कोई समाधान नहीं होता। किसानों को बाजार में कृषि जिंसों के समय अनुसार विपणन करना चाहिए। साथ ही जागरूक होकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। स्थानीय किसानों ने उद्यान विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं जैसे सोलर पम्प, सब्जी बीज मिनीकिट, फव्वारा संयंत्र व सूक्ष्म सिंचाई योजना में सबसे ज्यादा रुचि दिखाई। पूरे प्रदेश में इस तरह के संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। अध्यक्ष खंडेला ने बताया कि किसानों की समस्याओं से जुड़े समाधानों के सुझाव सरकार को भेजे जाएंगे।

आयोग के जिम्मे हैं ये बड़े काम

किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए राजस्थान किसान आयोग राज्य के किसानों की दशा, किसानों पर कर्ज, ऋण व्यवस्था, उपज का मूल्य निर्धारण, मण्डी व्यवस्था, कृषि उत्पाद निर्यात, कृषि आधारित उद्योग, कृषि मजदूर आदि मामलों में आ रही परेशानियों की पड़ताल करता है। सीधे किसानों से संवाद कर उनसे सुझाव भी लेता है। इन सबका विश्लेषण कर समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार इन सुझावों के आधार पर योजनाओं व नीतियों में सुधार करती है।

सरकार की सतर्कता से टल रहा फसलों में कीट लगने का संकट

कृषि विभाग की ओर से किसानों को बताया गया है कि फड़का कीट का प्रकोप अधिक होने पर कीट की रोकथाम के लिए मैलाथियॉन 5% चूर्ण या क्यूनालफॉस 1.5% चूर्ण का 25 किग्रा प्रति हैक्टर की दर से भुरकाव करें। क्यूनालफॉस 25% ईसी 1 लीटर प्रति हैक्टेयर की दर से छिड़काव कर भी कीट पर नियंत्रण किया जा सकता है।

खरीफ की फसलों में फड़का कीट फैलने की आशंका को देखते हुए कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने समय रहते इसे नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इस कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित सर्वेक्षण कर आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाए। बता दें कि खरीफ की फसलों में मुख्यतः बाजरा व ज्वार में फड़का कीट के प्रकोप की आशंका अधिक होती है। फसलों के लिए यह अत्यंत हानिकारक कीट है, जिससे फसलों को काफी नुकसान हो सकता है। कीट का प्रकोप मानसून की वर्षा के 15-20 दिन बाद शुरू होता है। फड़का कीट फसलों की पत्तियों और फूलों को खाकर सम्पूर्ण फसल को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस कीट का शिशु अवस्था में ही नियंत्रण करना कारगर साबित होता है। वर्तमान में यह कीट शिशु अवस्था में जयपुर, सीकर व झुंझुनूं जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के खेतों व खेतों की मेड़ों पर देखा गया है।

यदि प्रारम्भ में ही सतर्क रहकर कीट नियंत्रण के उपाय कर लिए जाएं तो खरीफ फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है।

फसल बीमा योजना बनी असरदार • प्रदेश के किसानों को फसल खराबे पर दिया गया 19 हजार 900 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम

राजस्थान से प्रेरणा लेकर देशभर में शुरू हुआ 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान

राजस्थान के किसानों को अब मौसम की मार व प्राकृतिक आपदा से घबराने की जरूरत नहीं है। किसानों को राजस्थान सरकार फसल खराबे पर बीमा क्लेम दे रही है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' एक लाभकारी योजना बनी है। इसकी सफलता को देखते हुए देशभर में इसे अभियान के रूप में चलाया गया है। प्रदेश के किसानों को फसल खराबे पर अब तक 19 हजार 900 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया जा चुका है।

खेती-किसानी का कार्य करते समय किसानों को कभी मौसम की तो, कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है। जिसके चलते किसान को अपनी खून पसीने से सिंचित फसल की पैदावार का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। राज्य सरकार द्वारा फसल खराबे से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम दिया जा रहा है। राज्य सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। गौरतलब है कि किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या के निराकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल करते हुए खरीफ 2021 से किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू किया गया था। इसके उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए ही केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्य सरकार की तर्ज पर रबी 2021-22 से 'मेरी पॉलिसी, मेरे हाथ' अभियान पूरे देश में लागू किया गया।

बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सम्मानित हुए

राज्य में फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अप्रैल 2023 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को दो पुरस्कार दिए गए। राज्य को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

फसल बीमा पॉलिसी देने में राजस्थान अव्वल

- प्रदेश में पिछले चार साल में लगभग 956.42 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है। अब तक लगभग 210 लाख फसल बीमा पॉलिसी पर पोर्टल के माध्यम से 19 हजार 900 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित किया गया है। इस मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा है।
- रबी सीजन 2018-19 में 31.06 लाख व खरीफ सीजन 2019 में 46.06 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं।
- इसी प्रकार रबी सीजन 2019-20 में 40.11 लाख, खरीफ सीजन 2020 में 67.02 लाख, रबी सीजन 2020-21 में 40.43 लाख, खरीफ सीजन 2021 में 186.30 लाख, रबी सीजन 2021-22 में 157.55 लाख, खरीफ सीजन 2022 में 216.01 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं।
- इसी प्रकार रबी सीजन 2022-23 में लगभग 171.88 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है।

न्यूनतम प्रीमियम पर हो रहा है फसल बीमा

कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव के मुताबिक किसानों द्वारा खरीफ फसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। जबकि वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम की राशि 5 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

किसान सालाराम और रघुवीर ने गिनाए फायदे

सालाराम बाना

"जयपुर जिले की तहसील फुलेरा निवासी सालाराम बाना ने बताया कि वे अपने खेत में रबी और खरीफ दोनों ही फसल बोते हैं। गत वर्ष गेहूं की फसल कटाई के बाद तेज बरसात होने के कारण खेत में पानी भर गया और खेत में पड़ी हुई पूरी फसल खराब हो गयी। बाना बताते हैं कि फसल बीमा योजना में फसल का बीमा करवाने के कारण ही वे बर्बाद होने से बचे हैं। उनके खाते में बीमा क्लेम के रूप में 60 हजार रुपए आए। बाना कहते हैं कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। अब सालाराम अपने गांव के अन्य किसानों को भी फसल बीमा के लिए जागरूक कर रहे हैं।

रघुवीर प्रसाद

"इसी तरह जयपुर जिले के ग्राम मांगलवाड़ा निवासी रघुवीर प्रसाद ने बताया कि पिछले साल उन्होंने अपने खेत में मूंग की फसल बोई थी, जो जलभराव के कारण नष्ट हो गई। नुकसान के बावजूद वे इस बात को लेकर राहत महसूस करते थे कि उन्होंने योजना के तहत मूंग की फसल का बीमा करवा रखा था। रघुवीर बताते हैं कि फसल खराबे के एवज में उन्हें 55 हजार रुपए का क्षतिपूर्ति क्लेम उनके बैंक खाते में प्राप्त हुआ।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और किसानों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए पिछले साल अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की।

खेती में मॉडल स्टेट बना राजस्थान अलग कृषि बजट से किसानों की तरक्की

किसानों को प्राथमिकता देते हुए नीतियां और कार्यक्रम बनाए हैं

किसानों के लिए लाई गई योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि मिशन शुरू किए गए हैं। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए की गई है। 19,900 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम व 62.54 लाख मीटर तारबंदी जैसे कदम उठाए गए हैं।

- अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसानों की जरूरतों और चुनौतियों को समझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 में प्रदेश का पहला कृषि बजट पेश किया। इस बजट के आने से कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के लिए अधिक धनराशि का आवंटन हुआ और कम समय में योजनाएं फाइलों से निकलकर जमीन पर उतरीं। इस बजट के तहत कुल 11 मिशनों की घोषणा की गई थी। इनमें-राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, जैविक खेती मिशन, बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, संरक्षित खेती मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन, फसल सुरक्षा मिशन, भूमि उर्वरता मिशन, कृषि श्रमिक संबल मिशन, कृषि तकनीक मिशन और खाद्य प्रसंस्करण मिशन की घोषणा की गई। इन मिशनों को बजट 2023-24 में निरंतर रखते हुए इनमें 12वां मिशन जोड़ा गया जो 'राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन' से जुड़ा है।

खेती से खुशहाली के लिए 12 मिशन

- **सूक्ष्म सिंचाई मिशन-** इस मिशन के तहत राजस्थान के 1.27 लाख से ज्यादा किसानों को सिंचाई, पाइप लाइन, फार्म पौंड, डिग्गी, जल हौज आदि के लिए 853.24 करोड़ रुपए का अनुदान दिया।
- **जैविक खेती मिशन-** गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे पशुओं पर आधारित कृषि पद्धति, उद्यानिकी आधारित कृषि पद्धति और वानिकी आधारित कृषि पद्धति के तहत 6417 चयनित किसानों को 1180 लाख रुपए से ज्यादा की सहायता।
- **बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन-** कृषकों को 102.43 लाख क्विंटल उन्नत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण।
- **संरक्षित खेती मिशन-** खेतों में ग्रीन हाउस व शेडनैट हाउस की स्थापना पर 1307 किसानों को 170.98 करोड़ रुपए का अनुदान दिया।
- **उद्यानिकी विकास मिशन-** लगभग 13 हजार किसानों के लिए निरंतर व स्थाई आमदनी हेतु 19 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत किस्म के नए फलदार बगीचों की स्थापना करवाई गई।
- **फसल सुरक्षा मिशन-** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 210 लाख पॉलिसी धारक किसानों को लगभग 20 हजार करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का वितरण किया गया।
- **मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन-** बाजरा की उन्नत किस्मों के 8.60 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किए गए।
- **भूमि उर्वरकता मिशन-** जमीन का पोषण बढ़ाने के लिए 1.03 लाख मैट्रिक टन जिप्सम अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाया। किसानों को 107.83 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 35.89 लाख मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करवाया गया।
- **कृषि श्रमिक संबल मिशन-** प्रदेशभर के दो लाख भूमिहीन कृषि परिवारों का चयन किया और 50 हजार कृषकों को प्रशिक्षण दिया। इनको दैनिक उपयोग वाले यंत्र व औजार की खरीद के लिए प्रति परिवार पांच हजार रुपए दिए जाएंगे।
- **कृषि तकनीक मिशन-** 82.42 करोड़ रुपए की मदद से 1265 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना की गई। ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के विजन को साकार करने के लिए राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया गया।
- **खाद्य प्रसंस्करण मिशन-** 2589 करोड़ के निवेश से 1103 प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना। 1.28 लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- **युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन-** 11वीं, 12वीं, यूजी/पीजी और पीएचडी तक कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर क्रमशः 15 हजार, 25 हजार और 40 हजार रुपए की गई।

फल और मसाला की खेती करने पर मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसानों को बहुआयामी क्षेत्रों में राहत और प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने एक बड़ी सौगात देते हुए फल और मसाले वाली फसलों के बगीचे लगाने पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इसके लिए सीएम गहलोत ने इस साल के बजट में घोषणा करते हुए 23.79 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साल 2023-24 में 7609 हेक्टेयर में फलों के बगीचे लगाने के लिए किसानों को 22.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जबकि 2527 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के लिए 1.39 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे।

23.79 करोड़ रुपए में से 17.24 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान कृषक कल्याण कोष में से दी जाएगी। वहीं, 6.55 करोड़ रुपए बागवानी मिशन व कृषि विकास योजना से वहन की जाएगी।

हरित ऊर्जा को मिल रहा बढ़ावा, जीवन में भी आ रही खुशहाली

सोलर पंप से सिंचाई में प्रदेश शीर्ष पर, किसानों की बिजली पर कम हो रही है निर्भरता

राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां प्राकृतिक जल के स्रोत बेहद सीमित हैं। हमारे काश्तकारों को कृत्रिम सिंचाई के लिए पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित रहना पड़ता था। इससे फसलों की लागत भी बढ़ती थी और कई बार समय पर बिजली ना मिलने से सिंचाई की कमी में फसलों की उपज और मुनाफे पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता था, लेकिन गहलोत सरकार बिजली की उपलब्धता पर कृषकों की निर्भरता घटाने के लिए किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए किसानों को सरकार की तरफ से 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस कवायद का असर अब ग्राउंड लेवल पर दिखने लगा है।

राजस्थान के किसान अब फसलों की सिंचाई के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन, डीजल से चलने वाले उपकरणों और अन्य वैकल्पिक साधनों पर आश्रित रहने की बजाय अपने-अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इसके दो सीधे फायदे हैं। पहला- किसानों का सशक्तिकरण और दूसरा- हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलने से तमाम तरह के प्रदूषणों को रोका जा रहा है। समय पर सिंचाई मिलने से खेतों में उपज बढ़ी है और किसानों का विद्युत खर्च घटा है। उनकी आय बढ़ी है और वे आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुए हैं। काश्तकारों के जीवन में खुशहाली लाने वाली गहलोत सरकार की इस पहल से जमीन पर बड़े स्तर पर समर्थन मिल रहा है।

इसे इससे समझा जा सकता है कि सोलर ऊर्जा अपनाने के मामले में राजस्थान पूरे देश में मॉडल स्टेट बन कर उभरा है और सोलर ऊर्जा पंपों की स्थापना में हमारा प्रदेश देश में पहले पायदान पर है।

किसानों को मिला 1100 करोड़ रुपए का अनुदान

- **राजस्थान में कृषकों को सोलर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना करने पर इकाई की लागत का 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। गहलोत सरकार ने पिछले चार वर्षों में अक्षय ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सोलर ऊर्जा पंप परियोजना के तहत 62 हजार 690 किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए 1100 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुदान दिया है।**
- **राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए तय अनुदान से अतिरिक्त 45 हजार रुपए की राशि अतिरिक्त देने के साथ टीएसपी क्षेत्र के निवासी अनुसूचित जनजातियों के किसानों को 3 व 5 एच.पी क्षमता के सोलर पंप संयंत्र पर शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है।**

खुशहाली के आंकड़े

1

7,500 करोड़

रुपए हो गया है किसान कल्याण कोष का बजट राजस्थान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2019 में किसान कल्याण कोष का गठन किया था। उस समय इसका बजट 1 हजार करोड़ रुपए था। कोष का उद्देश्य किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना है।

2

19,900 करोड़

रुपए के बीमा क्लेम वितरित किए गए राजस्थान के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत। योजना में कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थितियों व अन्य प्राकृतिक कारणों से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।

3

2,500 करोड़

रुपए का अनुदान दिया जा चुका है प्रदेश की गौशालाओं को अशोक गहलोत सरकार की ओर से। गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम के अन्तर्गत पात्र गौशालाओं को बड़े गौवंश के लिए 40 रुपए व छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाती है।

4

11.44 लाख

किसानों को निःशुल्क मिल रही है बिजली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार के बजट में हर महीने 2000 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है।

5

62.54 लाख

मीटर की तारबंदी कर चुकी है राजस्थान के किसानों के खेतों में। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए खेतों पर 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी के लिए लघु सीमांत कृषकों के लिए लागत का 60% और सामान्य किसानों के लिए 50% अनुदान।

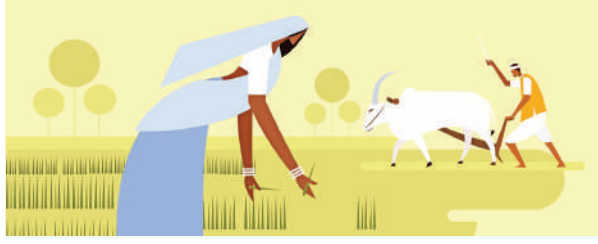

किसान सेवा पोर्टल से किसानों को राहत देने की राह हुई आसान

राजस्थान सरकार कृषि के क्षेत्र में तकनीक की मदद से किसानों के लिए बड़े स्तर पर सेवा और सुविधाएं मुहैया करवाने की दिशा में दृढ़ निश्चित है। इसकी अभिनव पहल के तौर पर सरकार ने किसान सेवा पोर्टल जैसी सौगात देकर प्रदेश के किसानों की चुनौतियों को काफी हद तक घटा दिया है। इस पोर्टल से अन्नदाता सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं एवं योजनाओं का एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ ले पा रहे हैं। **डिजिटल, वित्त और सामाजिक समावेश में यह पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है।**

संरक्षित खेती के लिए 60 हजार किसानों को मिलेगा लाभ

राजस्थान सरकार द्वारा संरक्षित खेती के चलन के लिए दो वर्षों में 60 हजार किसानों को 1 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। यह राशि ग्रीन हाउस, शेडनैट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्चिंग के लिए दी जाएगी। स योजना के तहत इसी वित्त वर्ष यानि 2023-24 में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राहत अगले वर्ष के लिए भी सुनिश्चित की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भी 30 हजार किसानों को 500 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25% अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।

सुपर फूड कहलाने वाले मोटे अनाज के देश के कुल उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 28.6 प्रतिशत

मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर, मुख्यमंत्री ने दिया- फिट राजस्थान का नारा

मोटे अनाज को भले ही दुनियाभर में अब सुपरफूड माना जा रहा हो, लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार इसके उत्पादन पर पहले से ही विशेष फोकस कर रही है। इसलिए मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। देश के कुल उत्पादन में से 28.6 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की है। राजस्थान की मिड-डे मील योजना हो अथवा इंदिरा रसोई इसमें भी लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मोटे अनाज का उपयोग हो रहा है। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी जैसे धान्य को शामिल किया गया है। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने तथा प्रोटीन, विटामिन-बी एवं खनिज भरपूर मात्रा में होने के कारण वैज्ञानिकों ने मोटे अनाज को 'पौष्टिक धान्य' का दर्जा दिया है।

उधर, राज्य सरकार द्वारा मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि एवं घरेलू खपत को बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में 'राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन' शुरू किया गया। साथ ही कृषकों, उद्यमियों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को 100 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'फिट राजस्थान' के सपने को पूरा करने के लिए यह एक सार्थक पहल है।

मिलेट्स उत्पाद के लिए तनुश्री को मिला बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड

जयपुर जिले की निवासी तनुश्री सिंह बताती हैं कि उन्होंने वर्ष 2019 में स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें उन्होंने बाजरा, ज्वार एवं रागी के केक, लड्डू एवं ब्राउनी जैसे अनेक दिलचस्प उत्पाद बनाने शुरू किए। वे इन उत्पादों को किराना की दुकानों व ऑनलाइन के जरिये देश-विदेश तक पहुंचाने लगी हैं। तनु अब स्वयं की वेबसाइट Bazic.in के जरिये भी लोगों तक अपने उत्पाद पहुंचा रही हैं।

अपने इस स्टार्टअप के माध्यम से वह 11 लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रही है। स्टार्टअप में सुपरफूड से बने हुए उत्पादों के लिए उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेस्ट स्टार्टअप के अवार्ड से नवाजा गया है।

▪ किसानों को बीज मिनीकिट्स का निःशुल्क वितरण

राज्य सरकार द्वारा किसानों को मोटे अनाज की खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा व ज्वार के बीज मिनीकिट्स का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके तहत खरीफ 2022 में अधिक उपज देने वाली किस्म के बाजरा बीज के 8.32 लाख मिनी किट वितरित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी राज्य सरकार द्वारा 8 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनीकिट बांटे जाएंगे। मूल्य संवर्धन एवं फसलोत्तर बेहतर प्रबंधन के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से मिलेट्स उत्कृष्टता केन्द्र जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है।

▪ राजस्थान करता है बाजरे की सबसे अधिक पैदावार

राज्य में पैदा होने वाले मोटे अनाज में बाजरा और ज्वार प्रमुख हैं। बाजरे के उत्पादन में 41.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ राज्य देश में पहले पायदान पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में हमारा प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। राज्य के दक्षिणी जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर एवं सिरोही के क्षेत्रों में मोटे अनाज में सांवा, कांगनी,कोदो तथा कुटकी का उत्पादन भी किया जाता है।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

फसलों की सिंचाई के लिए मिशन मोड पर राजस्थान सरकार

बूंद-बूंद सहेज हर खेत पानी पहुंचाने को प्रतिबद्ध राज्य सरकार, सिंचाई की बाट जोहते खेतों के लिए बनी भागीरथ

राजस्थान जैसे रेगिस्तानी प्रदेश में जहां पानी की अनुपलब्धता एक बड़ा प्राकृतिक संकट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर बूंद पानी के संरक्षण के लिए तो प्रतिबद्ध है ही, हर खेत तक सिंचाई की उचित व्यवस्था मुहैया करवाने की दिशा में भी लगातार प्रयासरत है। क्योंकि उपज बेहतर करने और आमदनी बढ़ाने का पहला रास्ता उचित सिंचाई मिलने के बाद ही खुल सकता है। ऐसे में अन्नदाता की खुशहाली व समृद्धि के लिए राज्य सरकार मिशन मोड पर पानी की प्रत्येक बूंद के सदुपयोग में जुटी है। **इसके लिए प्रदेश में किसानों को फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाइपलाइन, ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर व स्प्रिंकलर पर अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है।**

प्रदेश सरकार की योजनाएं वर्षा जल को सहेजने और सिंचाई के लिए इसका उपयोग आधुनिक तकनीक से करने पर आधारित हैं

[1] पौण्ड

राजस्थान सरकार प्रत्येक किसान को खेतों में कच्चे पौण्ड निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त कृषकों को एक पौण्ड के निर्माण पर 73 हजार 500 रुपए और अन्य कृषकों को 63 हजार रुपए तक की सहायता दी जा रही है।

फार्म पौण्ड निर्माण में गत 4 वर्षों में 25 हजार 595 किसानों को 186 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

[2] प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड

सामान्य फार्म पौण्ड में पानी गर्मी के सीजन तक सूख जाता है। इसे सहेजने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड बनाए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु व सीमान्त कृषकों को 1 लाख 35 हजार रुपए और अन्य कृषकों को अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए का अनुदान दे रही है।

[3] ड्रिप व मिनी स्प्रिंकलर

शुष्क प्रदेश होने के कारण राजस्थान में ड्रिप, स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर जैसे सिंचाई उपकरण खेती के लिए लाइफ लाइन का काम करते हैं।

राज्य सरकार द्वारा लघु एव सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला कृषकों को ये संयंत्र स्थापित करने के लिए लागत का 75% और अन्य कृषकों के लिए लागत का 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है।

[4] डिग्गी

मुख्यमंत्री द्वारा न्यूनतम 4 लाख लीटर भराव क्षमता व इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी अथवा प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी का निर्माण करने पर लघु व सीमान्त कृषकों को अधिकतम 3.40 लाख रुपए और अन्य कृषकों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान सुनिश्चित किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत गत 4 वर्षों में डिग्गी निर्माण के लिए 13 हजार 311 किसानों को 517 करोड़ 07 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

[5] सिंचाई पाइप लाइन

ट्यूबवैल या कुएं से खेत तक बिना छीजत के पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई पाईप लाइन का इस्तेमाल करने पर लघु व सीमान्त कृषकों को 18 हजार रुपए तक एवं अन्य कृषकों को 15 हजार रुपए तक का अनुदान।

4 वर्षों में सिंचाई पाईप लाईन के लिए 87 हजार 716 किसानों को 133.27 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को हम और अधिक सुदृढ़ बना रहे हैं

प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए डिग्गी, फार्म पौण्ड व सिंचाई पाइपलाइन आदि कार्यों के लिए 463 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आगामी 2 वर्षों में फार्म पौण्ड निर्माण के लिए 30 हजार किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हजार किया गया है।

-अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

सीएम गहलोत ने दी 45 स्कूलों में कृषि संकाय खोलने की मंजूरी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों के 45 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही इन विद्यालयों में व्याख्याता (कृषि) के 45 पद सृजित किए जाने की भी स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार प्रति विद्यालय व्याख्याता (कृषि) का एक पद सृजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत ने बजट वर्ष 2021-22 में राज्य के विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में 525 विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाकर व्याख्याता (कृषि) के 525 पद पूर्व में ही सृजित किए जा चुके हैं।

कृषि महाविद्यालयों की प्रयोगशाला के लिए नए उपकरणों की खरीद

राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में उच्च व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के 38 कृषि महाविद्यालयों में प्रयोगशाला कार्य हेतु उपकरणों की खरीद के लिए 13.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से कृषि महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन और उपकरणों की खरीद होगी। इस राशि में से 2022-23 से संचालित 29 कृषि महाविद्यालयों में प्रथम व द्वितीय वर्ष हेतु 40-40 लाख रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे। वहीं 2023-24 सत्र में 9 कृषि महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष हेतु 20-20 लाख रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में सुगमता होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मिनी इजरायल बन रहे प्रदेश के गांव, आधुनिक तकनीक से हो रही खेती

विषम प्राकृतिक परिस्थितियों में सफल खेती के लिए दुनियाभर में इजरायल मॉडल को सराहा जाता रहा है। राजस्थान के भी प्राकृतिक हालात काफी हद तक इजरायल जैसे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इस तथ्य को समझते हुए प्रदेश के किसानों को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहित करते हुए इजरायल मॉडल पर आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। नतीजतन आज जयपुर के बसेडी, गुड़ा कुमावतान, बस्सी झाझड़ा और बालोलाई गांवों में 300 से अधिक कृषकों द्वारा ग्रीन हाउस में खेती की जा रही है। यहां के कृषक संरक्षित खेती के साथ-साथ ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर, सोलर पंप, मल्चिंग आदि तकनीकों की मदद से आधुनिक तरीकों से खेती कर, बेहतर आय प्राप्त कर पा रहे हैं।

योजना से लाभान्वित कृषकों के मुताबिक पारंपरिक खेती के साथ ही उद्यानिकी फसलें उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। इन फसलों से आय में वृद्धि हो रही है और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। लाभार्थी कृषकों का कहना है कि उन्नत तकनीक और नवाचारों की मदद से कई किसान प्रति एकड़ 10 से 15 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं।

कृषि में नवाचार से रोशल लाल ने कमाया अधिक मुनाफा

बसेड़ी के कृषक रोशन लाल यादव अपने पोली हाउस में ड्रिप सिस्टम द्वारा उन्नत किस्म के ऑर्गेनिक खीरा, टमाटर, हरी मिर्च और फूलों की पैदावार कर रहे हैं। रोशन लाल बताते हैं कि जैविक खेती मॉडल अपनाने से खेती में इंसेक्ट ट्रैप कार्ड, सोलर लाइट ट्रैप द्वारा कृषि में नवाचार कर अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है।

भैरूराम को महीने भर पहले मिल जाती है फसल

खेती में नए-नए तरीके अपनाने से किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। जयपुर निवासी कृषक भैरूराम थाकन भी इनमें से एक हैं। वे अपने फार्म हाउस पर संरक्षित खेती, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस और प्लास्टिक मल्च के साथ लो टनल में सब्जियां उगाते हैं। भैरूराम के मुताबिक लो टनल से लगभग 1 महीने पूर्व फसल प्राप्त हो जाती है जिसकी बिक्री पर अच्छा मुनाफा मिलता है।

लड़कों के लिए माना जाता था कृषि संकाय, सरकार के प्रयासों से मिथक टूटा

कृषि की पढ़ाई में लड़कियों की रुचि बढ़ी, नौकरियों में भी बढ़ा दबदबा

2022 में सरकार ने कृषि अधिकारी के 95 पदों पर नियुक्ति दी जिनमें से 37 महिलाएं थीं।

जिस कृषि संकाय में शुरुआत से ही लड़कों का दबदबा था उसमें अब लड़कियों की रुचि बढ़ रही है। इसका असर विभाग की भर्तियों में भी दिख रहा है। पिछले कुछ सालों में कृषि विभाग में हुई विभिन्न पदों की भर्तियों में महिला अभ्यर्थियों ने अच्छी खासी तादात में सफलता प्राप्त की है। कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने कृषि को अपना करियर चुना, मेहनत की, सरकार की योजना का लाभ उठाया और आज कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक जैसे पुरुष वर्चस्व के माने जाने वाले पदों पर सफलता प्राप्त की। 2022 में सरकार ने कृषि अधिकारी के 95 पदों पर नियुक्ति दी जिनमें से 37 महिलाएं थीं।

इसी साल कृषि पर्यवेक्षक (नॉन टीएसपी) के 2066 पदों पर भर्ती निकली जिनमें से 622 महिलाओं ने सफलता हासिल की। इसी तरह कृषि पर्यवेक्षक (टीएसपी) के 268 पदों में से 78 महिला अभ्यर्थी कामयाब हुईं। इससे पहले 2020 में सहायक कृषि अधिकारी (नॉन टीएसपी) के कुल 254 पदों में से 77 पदों पर, सहायक कृषि अधिकारी (टीएसपी) के 33 में से 9 पदों पर महिलाएं सफल हुईं। इसी प्रकार साल 2020 में कृषि पर्यवेक्षक (नॉन टीएसपी) के 1648 में से 490 और कृषि पर्यवेक्षक (नॉन टीएसपी) के 301 में से 89 पदों पर महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली।

सरकार की ओर से दी जा रही प्रोत्साहन राशि

आंकड़ों से साफ है कि राजस्थान में कृषि विषय में अध्ययन के प्रति छात्राओं का रूझान बढ़ता जा रहा है। इसे और बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार के बजट में 'कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना' में नवाचार करते हुए 'राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन' की शुरुआत की है। इसके तहत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में तीन गुना तक बढ़ोतरी की गई है।

मिशन के तहत कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी तक मिल रही 5 हजार से 15 हजार की राशि को बढ़ाकर अब 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

जयपुर जिले की बस्सी तहसील के महेश शर्मा ने राज्य सरकार की मदद से लिखी कामयाबी की इबारत

किसान ने उठाया सरकार की योजनाओं का लाभ, 25 लाख हुई सालाना कमाई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार किसानों की समृद्धि और खुशहाली के लिए मिशन मोड पर जुटी हुई है। इसी उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना' के तहत राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन, उद्यानिकी विकास मिशन और फसल सुरक्षा मिशन जैसी योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार का उद्देश्य है कि इनका लाभ उठाकर किसान न केवल खुशहाल बनें, बल्कि आर्थिक तौर पर भी वे मजबूत हों। जयपुर जिले के बस्सी तहसील निवासी महेश शर्मा भी ऐसे ही लाभान्वित किसानों में से एक हैं। शर्मा बताते हैं कि उनके पास 30 बीघा खेतिहर भूमि है, लेकिन पानी और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं के चलते वे अपनी पूरी भूमि में खेती नहीं कर पाते थे। नतीजतन उन्हें बहुत कम आमदनी से संतोष करना पड़ता था।

लेकिन अब राजस्थान सरकार की तमाम कृषक हितैषी योजनाओं के कारण उनकी हर समस्या का समाधान हो गया है। अब वे न केवल पूरी 30 बीघा जमीन में खेती कर रहे हैं, बल्कि 25 लाख रुपए तक का सालाना लाभ भी अर्जित कर रहे हैं।

महेश को सोलर पंप से मिली बिजली बिल से मुक्ति

महेश शर्मा कहते हैं कि पहले सिंचाई के लिए उन्हें बिजली का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन राज्य सरकार से अनुदान पाकर जब से उन्होंने 10 एचपी का सोलर पंप संयंत्र स्थापित किया है। तब से रात्रि में फसलों व बगीचे में पानी देने की समस्या से उन्हें निजात मिल गई है। साथ ही पहले बिजली का बिल 8 हजार रुपए प्रति माह आता था, जो अब बिल्कुल नहीं आता है। जिससे उनकी आय में तो वृद्धि हुई ही है, अब वे अपने परिवार के साथ भी ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं।

सरकार की मदद से लगाया 14 बीघा में बगीचा

- महेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने उद्यानिकी विकास मिशन के तहत सरकारी अनुदान पाकर अपने उस खेत में 14 बीघा भूमि में फलों का बगीचा स्थापित किया है, जो पहले खाली रहता था।
- 8 बीघा में अमरूद व 6 बीघा में आंवला के फलदार पौधे लगा रखे हैं। अब उनके खेत हरे-भरे दिखने लगे हैं। साथ ही वे प्रतिवर्ष 19 लाख रुपए का मुनाफा भी अर्जित करते हैं।

ड्रिप संयंत्र से कम पानी से अधिक सिंचाई

- शुष्क प्रदेश होने के कारण राजस्थान में उन्नत तकनीक से सिंचाई हमेशा से फायदे का सौदा रही है। इसी बात को समझते हुए महेश शर्मा ने कृषि विभाग से अनुदान पाकर खेतों में ड्रिप संयंत्र स्थापित किया।
- संयंत्र स्थापित होने के बाद अब वे कम पानी में भी 30 बीघा भूमि की सिंचाई सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसमें से 14 बीघा के बगीचे में ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं, साथ ही 16 बीघा भूमि में मिर्ची, टमाटर, हल्दी, अदरक की खेती भी कर रहे हैं, जिससे वे 6 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर रहे हैं।
- वे स्वयं तो योजनाओं का लाभ उठा ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों को भी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

▪ स्पेशल इनिशिएटिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

‘समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान’ की सोच के साथ राज्य सरकार पेश कर रही अलग से कृषि बजट

मुख्यमंत्री की मंशा

ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोग आजीविका से जुड़ें

1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए। उनकी इस मंशा के अनुसार राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू की गई। राजस्थान में सहकारिता विभाग की यह एक अनूठी योजना है। यह देश में एक नई प्रकार की पहल की गई है।

इस पहल के तहत ग्रामीण परिवारों को आजीविका से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत 1.50 लाख परिवारों को अकृषि कार्यों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना में पात्र आवेदक को 25 हजार रुपए से 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

ऋण के लिए बनाया पोर्टल

राजस्थान सहकारी ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के लिए सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा ऋण आवेदन पोर्टल बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों को आजीविका से जोडा जाए। इस योजना में आरसीडीएफको भी जोड़ा गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य कर रहे पशुपालकों को फायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पांच वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई-छपाई एवं दुकान इत्यादि के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए भी प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण दिया जाएगा। पोर्टल से पारदर्शिता के साथ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं आदि स्थानों से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट उपलब्ध होने पर आवेदक अपने घर अथवा साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को ऋण के लिए बैंक को मान्य 2 व्यक्तियों (केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, प्रधान पंचायत समिति,पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, केवीएसएस अध्यक्ष, सदस्य) की जमानत उपलब्ध करानी होगी, कोई अन्य सम्पत्ति रहन रखने की आवश्यकता नहीं है।

जनाधार कार्ड जरूरी

आवेदन करते समय आवेदक के पास जनाधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। पांच वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में रहने के प्रमाण स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, भूमि के दस्तावेज आदि अपलोड़ करने होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पर जिला स्तरीय कमेटी आवेदक की पात्रता का परीक्षण करेगी, सही पाये जाने पर आवेदन पत्र संबधित शाखा को ऑनलाइन भेजा जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ पिछले साल पहला कृषि बजट पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पेश किए गए इस पहले कृषि बजट में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशनों की शुरूआत की गई। इन 11 मिशनों को निरंतर रखते हुए कृषि बजट पिछले वर्ष प्रारम्भ किए गए कृषि मिशनों के उत्साह जनक परिणामों को देखते हुए कृषि के लिए संचालित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 हजार पांच सौ करोड़ की घोषणा की गई है। इसके साथ ही 11 मिशनों को निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने व परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ-साथ प्रदेश के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 वें मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन की घोषणा की गई है।

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसानों की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रहे है। इसी उद्देश्य के अनुरूप राज्य सरकार पानी की प्रत्येक बूंद के सदुपयोग के लिए फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाईप लाईन, ड्रिप, मिनी स्प्रिक्लंर एवं स्प्रिक्लंर पर कृषकों को अनुदान देकर लाभान्वित किया जा रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा कच्चा फार्म पौण्ड निर्माण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत या अधिकतम 73 हजार 500 रुपए (जो भी कम हो) एवं अन्य कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 63 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है।
- प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त कृषकों को इकाई लागत का 90 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 35 हजार रुपए(जो भी कम हो) एवं अन्य कृषकों को लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपए (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है। किसानों के पास फार्म पौण्ड निर्माण अनुदान के लिए स्वयं के नाम एक स्थान पर न्यूनतम कृषि योग्य भूमि 0.3 हैक्टेयर एवं संयुक्त खातेदार की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर भूमि हो। फार्म पौण्ड निर्माण में गत 4 वर्षों में 25 हजार 595 किसानों को 186 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया गया है।

11 मिशनों को निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने व परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ-साथ प्रदेश के उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12 वें मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन की घोषणा की गई है।

पोर्टल से बीमा क्लेम वितरण में राजस्थान देश में अव्वल

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार साढ़े चार साल में कई मामलों में दूसरे प्रदेशों से बहुत आगे रही है। पोर्टल से किसानों को फसल बीमा क्लेम वितरण करने में यह सरकार देश में अव्वल रही है। किसानों को केन्द्र सरकार की ओर से समय पर बीमा पॉलिसी नहीं मिलने की समस्या के निराकरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पहल करते हुए खरीफ2021 से किसानों को बीमा पॉलिसियों का वितरण शुरू किया गया। इसके उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए केन्द्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार की तर्ज पर रबी 2021-22 से ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान पूरे देश में लागू कर काश्तकारों को बीमा पॉलिसियां वितरित करना शुरू किया है, जो राज्य सरकार के लिए गर्व और खुशी का विषय है।

राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार समारोह में किसान को चैक प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।

956.4 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन

210 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर बीमा क्लेम वितरित

प्रदेश में गत चार वर्षों में लगभग 956.42 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है। अब तक लगभग 210 लाख फसल बीमा पॉलिसियों पर पोर्टल के माध्यम से 19 हजार 900 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम वितरित कर राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। रबी सीजन 2018-19 में 31.06 लाख व खरीफ सीजन 2019 में 46.06 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2019-20 में 40.11 लाख, खरीफसीजन 2020 में 67.02 लाख, रबी सीजन 2020-21 में 40.43 लाख, खरीफसीजन 2021 में 186.30 लाख, रबी सीजन 2021-22 में 157.55 लाख, खरीफसीजन 2022 में 216.01 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हुई हैं। इसी प्रकार रबी सीजन 2022-23 में लगभग 171.88 लाख फसल बीमा पॉलिसियों का सृजन हुआ है।

किसानों को मिला संबल

जयपुर जिले की तहसील फुलेरा निवासी सालाराम बाना ने बताया कि वे अपने खेत में रबी और खरीफदोनों की फसल लेते हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष गेहूं की फसल कटाई के बाद तेज बरसात होने के कारण खेत मे पानी भर गया और खेत में पड़ी हुई फसल खराब हो गयी। बाना बताते हैं कि फसल बीमा योजना में फसल का बीमा करवाने के कारण ही वे बर्बाद होने से बच गए। उनके खाते में बीमा क्लेम के रूप में 60 हजार रुपए जमा हुए। वह कहते हैं कि यह योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है।

मील का पत्थर

खेती-किसानी का कार्य करते समय किसानों को कभी मौसम की तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पडती है। जिसके चलते किसान पसीने से सिंचित फसल की पैदावार का पूरा लाभ नही ले पाते हैं। योजना में सरकार द्वारा फसल खराबे से पीड़ित किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से खराब हुई फसल की क्षतिपूर्ति के लिए बीमा क्लेम दिया जाता है। सरकार का यह कदम किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है।

बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सम्मानित

राज्य में फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में अप्रैल 2023 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में केन्द्र सरकार की तरफ से राजस्थान सरकार को दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। प्रदेश को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से बीमा क्लेम वितरण में प्रथम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए द्वितीय स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

न्यूनतम प्रीमियम पर फसल बीमा

किसानों की ओर से खरीफफसलों के लिए केवल 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम का भुगतान किया जाता है तथा वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम 5 प्रतिशत है। योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले ऋणी कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा कराया जा सकता है।

राज किसान सुविधा ऐप में 3 लाख 73 हजार से अधिक किसानों ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

जयपुर। पिछले चार सालों में राजस्थान के किसान भी हाईटेक हुए हैं। एक क्लिक में खेती संबंधी पूरी जानकारी ले रहे हैं। किसान हितैषी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा संचालित कृषि के क्षेत्र में जनकल्याणकारी योजनाओं एवं उन्नत विधाओं की जानकारी किसानों तक आसानी से मुहैया कराने के लिए कृषि विभाग ने अनूठी पहल कर राज किसान सुविधाएं ऐप विकसित किया है। ऐप के माध्यम से किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं कृषि विपणन से संबंधित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अब घर बैठे एक ही प्लेटफार्म पर मिल रही है। इसके साथ ही किसान इस ऐप के जरिए योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन भी कर पा रहे हैं।

ऐप से किसानों के समय की बचत एवं आवेदन की प्रक्रिया भी सुगम हो गयी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में राज किसान सुविधा ऐप लॉन्च किया था। सुविधा ऐप की लोकप्रियता बताती है कि महज चार महीने में ऐप पर 3 लाख 73 हजार से अधिक किसान सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं का लाभ एवं नवीनतम विधाओं की जानकारी अर्जित कर रहे हैं। कृषि विभाग की यह पहल किसानों को राहत पहुंचाने एवं सुगमता लाने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है।

ऐप पर मिल रही हैं ये सुविधाएं

राज किसान सुविधा ऐप से किसानों को कृषि योजनाओं, मौसम अपडेट, खाद, बीज, कीटनाशक और उर्वरक विक्रेताओं की सूची, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, गोदामों की सूची, उन्नत कृषि कार्यों की वीडियो व विधियां, राज्य में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यातकों की सूची मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध हैं। कृषक के लिए तारबंदी, फार्मपौण्ड, डिग्गी जैसी अनेक कृषि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है। जिसमें किसान इच्छित योजना में पात्रता की जांच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन पर प्रगति की जानकारी

किसानों के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में किए गए आवेदन की नवीनतम स्थिति जांचने के लिए कृषकों को ई-मित्र व कृषि कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा। अब किसान घर बैठे ही आवेदन की नवीनतम प्रगति ऐप के माध्यम से किसी भी समय पता कर सकते हैं। किसानों के लिए ऐप पर मौसम संबंधी जानकारी भी उपलब्ध है। जिसे देखकर किसान फसल को सुरक्षित रखने एवं बुवाई के क्रम में निर्णय कर सकते हैं। राज किसान सुविधा ऐप पर फसल बीमा का विशेष आइकन भी उपलब्ध है।

कृषि में हाईटेक शिक्षित युवा का रूझान, अब डिग्री लेकर हो रही वैज्ञानिक-तकनीकी से खेती

4 साल में रिकॉर्ड 42 नए कृषि कॉलेज खोले, कृषि की पढ़ाई कर रहे 84963 छात्रों को 55.63 करोड़ प्रोत्साहन राशि

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार इसे लेकर पूर्णतः गंभीर है। ऐसे में उन्नत और तकनीति-वैज्ञानिक आधारित फसलों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को हाईटेक करने में लगी है। इसके लिए राजस्थान में चार साल में रिकॉर्ड 42 नए कृषि कॉलेज खोले गए हैं। जबकि गहलोत सरकार से पहले प्रदेश में केवल 12 ही कृषि कॉलेज थे। 2023-24 में गहलोत सरकार 9 और नए कृषि कॉलेज खोलने जा रही है। जहां युवा कृषि से संबंधित डिग्रियां करके पारंगत रुप से कृषि क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर सकेंगे। जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जयपुर के दुर्गापुरा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना करने के लिए नवीन शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक के 30 पदों को भी 16 मार्च 2023 को मंजूर किया गया है। बड़ी बात यह है कि सरकार ने छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 84,963 छात्राओं को 55.63 करोड़ रूपए की प्रोत्साहन राशि भी दी है।

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन
जल का कुशलतम उपयोग

- पानी की प्रत्येक बूंद के सदुपयोग हेतु पाइप लाइन, डिग्गी, फार्म पौण्ड, ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंक्लर, स्प्रिंक्लर आदि पर लघु सीमान्त किसानों को 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2023-24 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को भी फार्म पौण्ड हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- प्लास्टिक लाईनिंग फार्म पौण्ड के लिए 30,000 रूपये की अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। 509 जल ग्रहण ढांचों का निर्माण कराकर राशि 64.34 करोड़ रूपये का अनुदान उपलब्ध कराया जा चुका है।
- 1,27,742 किसानों को सिंचाई पाईप लाईन फार्म पौण्ड, डिग्गी, जल हौज आदि के लिए 853.24 करोड रूपये की सहायता दी गई।
- 4.46 लाख हैक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर की स्थापना के लिए 3.09 लाख किसानों को 1039 करोड रूपये का अनुदान दिया गया है।

राजस्थान जैविक खेती मिशन

- परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 5025 कलस्टर्स के चयनित 1.30,899 कृषकों को विभिन्न गतिविधियों यथा-जैविक बीज, वर्मीकम्पोस्ट इकाई परम्परागत जैविक आदान उत्पादन इकाई, जैव उर्वरक/जैव कीटनाशी/वेस्ट डिकम्पोजर नीम उत्पाद, फॉस्फेट रिच जैविक खाद, वानस्पतिक काढ़ा इकाई आदि पर 152.89 करोड रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी गई है।
- जैविक खेती करने वाले तीन उत्कृष्ट किसानों को प्रतिवर्ष 1-1 लाख रूपये के पुरस्कार दिये जा रहे हैं।
- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत विभिन्न फसल पद्धतियों यथा-पशु आधारित कृषि पद्धति (गाय/ भैंस/ भेड़/ बकरी), उद्यानिकी आधारित कृषि पद्धति एवं वानिकी आधारित कृषि पद्धति के तहत 6417 चयनित कृषकों को 1180.44 लाख रूपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करवायी गई है।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2022-23 से प्रदेश में राजस्थान जैविक खेती मिशन के अन्तर्गत तीन वर्षों में लगभग 4 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए 3.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार जैविक खेती के लिए 50 हजार कृषकों को प्रति कृषक 5 हजार रूपये की इनपुट सब्सिडी दी जायेगी।

राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन

- 55 लाख 70 हजार बीज मिनिकिट (मक्का, बाजरा, मोंठ, उड़द, मूंगफली, तिल, सरसों, मसूर, अलसी) निःशुल्क वितरण किये गये।
- 4 लाख 90 हजार चारा बीज मिनिकिट (जई, रिजका, बरसीम, ज्वार, बाजरा, चरी) निःशुल्क वितरण किये गये।
- वर्ष 2022-23 से मिनिकिट का वितरण जनाधार कार्ड के माध्यम से पहली बार ऑनलाईन किया गया। कृषकों को गुणवत्ता युक्त बीज मिले, उत्पादन और उत्पादकता अच्छे से हो इसके लिए 102.43 लाख क्विंटल उन्नत/ प्रमाणित बीज का वितरण किया गया।

राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन

- 13-14 मार्च 2023 को राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के वैज्ञानिक, मिलेट स्टार्टअप व्यवसायी, कृषक व विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से मिलेट्स का उत्कृष्टता केन्द्र खोला जा रहा है।
- बाजरा की उन्नत किस्मों के 8.60 लाख बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरित किये गए हैं। खरीफ2023 में बाजरा के करीब 7 लाख 91 हजार 566 बीज मिनीकिट वितरित किए गए हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रसारित

87 YEARS विश्वसनीयता के dainiknavajyoti.com
दैनिक नवज्योति
जयपुर

किसान करने लगे हैं हाईटेक खेती

सस्ती, बेहतर और आसान खेती के लिए कई योजनाएं हुई शुरू

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में आई सरकार ने शुरू से ही किसानों को हाईटेक तरीके से फसल उगाने का काम शुरू किया। इस तरह की योजनाएं बनाई जिससे कि किसान सस्ती, बेहतर और सस्ती दरों में खेतों में फसलें लहलहा सके। इसके लिए ढेरो योजनाएं बनीं। पानी सप्लाई के लिए सिंचाई पाईपलाइनें बिछाई गई। किसानों को कृषि यंत्र और पौध सरंक्षण यंत्र बांटे गए। उन्हें ड्रिप और फव्वारा सयंत्रों से सिंचाई को ना केवल प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके खेतों में यह सब विकसित करने के लिए बंपर अनुदान दिए गए। क्वालिटी की फसलें पैदा हों और दाम अच्छे मिले इसके लिए उन्हें पोषक तत्व भी बांटे गए। सौंर ऊर्जा पंप लगाए गए और हजारों हैक्टेयर में नए फल बगीचे लगाकर किसान को आर्थिक संबल बनाने का काम राजस्थान में पिछले पांच साल में मूर्तरूप ले चुका है।

किसानों को करोड़ों रुपए के ई-पेमेंट हो रहे

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2022-23 तक कुल 19,144 ई-पेमेन्ट किए गए, जिनका कुल मूल्य 270.83 करोड़ रूपए है। मण्डी शुल्क राशि 2.36 करोड़ रूपए थी जिसका 25 प्रतिशत राशि 59 लाख रूपए कृषकों को प्रोत्साहन दी गई। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 998 ई-पेमेंट किए गए जिनका मूल्य 220.60 लाख रूपए है एवं मण्डी शुल्क राशि 37 लाख रूपये थी जिसका 25 प्रतिशत राशि 9 लाख रूपए कृषकों को प्रोत्साहन राशि दी गई।

खेतीहर मजदूरों को भी राहत दी

राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना में 11,877 कृषकों/खेतीहर मजदूरों/पल्लेदारों को लाभान्वित किया गया तथा उनको 176.37 करोड़ रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। किसान कलेवा योजना में 1.45 करोड़ किसानों/पल्लेदारों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया एवं 37.07 करोड़ रूपए व्यय किए गए। महात्मा ज्योति फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना में 3867 हम्मालों/पल्लेदारों/ तुलाइकारों को लाभान्वित कर 13.38 करोड़ रूपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

35254 किमी की सिंचाई पाइपलाइन

जल प्रबन्धन के तहत नहरी क्षेत्र में 13,310 डिग्गी, कूप व नलकूप सिंचित क्षेत्रों में 1,116 जलहौज, वर्षा जल के संग्रहण के लिए 25,595 खेत तलाईयों (फार्म पोण्ड) का निर्माण करवाया गया एवं कुओं से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए 35,254 किलोमीटर सिंचाई पाईप लाईन स्थापित की गई। लागत कम करने के लिए करने के लिए अनुदान सीमा को 90 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपए किया गया। एसी-एसटी के गैर लघु-सीमान्त कृषकों को भी लघु सीमान्त कृषकों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है।

फसलों की बेहतर गुणवत्ता के लिए पोषक तत्व भी बांटे

एक नई पहल करते हुए बूंद-बूंद सिंचाई के साथ फसलों को वांछित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करने के तहत 2,128 हैक्टेयर फर्टीगेशन, 701 हैक्टेयर में फोलियर उर्वरकीकरण तथा 17 ऑटोमेशन संयंत्रों की स्थापना की गई है।

किसानों को 52142 कृषि यंत्र, 55486 पौध संरक्षण यंत्र बांटे

किसानों को फसलों को आसानी से उगाने के लिए 52,142 कृषि यंत्र, 55,486 पौध संरक्षण यंत्र वितरित किए गए हैं। 1265 कस्टम हायरिंग केन्द्र-कृषि यंत्र किराया केन्द्रों की स्थापना की गई। जानवरों से फसल के नुकसान को रोकने के लिए कृषकों के खेतों पर 100 रूपए प्रति मीटर अधिकतम 400 मीटर प्रति कृषक की दर से 62.54 लाख मीटर की तारबंदी कराते हुए कृषकों को 6613 करोड़ का अनुदान उपलब्ध करवाया गया। वर्ष 2022-23 में तारबन्दी योजना के लिए 3 कृषकों की इकाई को समाप्त कर व्यक्तिगत कृषक को लाभान्वित एवं भूमि की न्यूनतम सीमा 1.5 हैक्टयर करने का प्रावधान किया गया। तारबंदी में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया। एक मार्च 2023 को इसके आदेश भी जारी हो गए। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कृषकों की जोत का आकार कम होने के कारण तारबंदी के लिए न्यूनतम सीमा 0.50 हेक्टयर कर दी गई।

अब 1.53 लाख हैक्टेयर में ड्रिप, 2.86 हैक्टेयर में फव्वारा से खेती

ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों पर भारत सरकार द्वारा लघु/सीमांत व अन्य कृषकों को इकाई लागत का क्रमशः 55 व 45 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा लघु/सीमांत कृषकों को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को 30 प्रतिशत व अन्य कृषकों को 25 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान करते हुए सूक्ष्म सिचाई संयंत्रों पर लघु/सीमांत कृषकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को कुल इकाई लागत पर 75 प्रतिशत तक व अन्य कृषकों को कुल 70 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 17 दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2023 तक 1.53 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप तथा 2.86 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्रों की स्थापना की गई।

62690 सौर ऊर्जा पंप लगे, 16629 हैक्टेयर में नए फल बगीचे लगे

राज्य में पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 62,690 सौर उर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 3,110 कृषको को अतिरिक्त 45,000 रूपए प्रति कृषक अनुदान दिया जाकर सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापित कराये गए हैं। 16,629 हैक्टेयर में नये फल बगीचों की स्थापना हो चुकी है। 1869 हैक्टेयर में पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। 33.98 लाख वर्गमीटर में ग्रीन हाउस का निर्माण हुआ है। 4.07 लाख वर्गमीटर में शेड नेट हाउस का निर्माण, 8,475 हैक्टेयर में प्लास्टिक मलचिंग तथा 75.65 लाख वर्गमीटर में प्लास्टिक टनल स्थापित की जा चुकी है। फल बगीचे विकसित करने के लिए अनुदान की वर्तमान सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गयी है।

राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति- 2019

- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 के तहत विभिन्न कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2.60 करोड़ रूपये तक का प्रावधान किया गया है।
- अब तक 1103 प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर 2589.21 करोड़ रूपये का निवेश किया जाकर 399.87 करोड़ रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका हैं। इससे 8,379 प्रत्यक्ष व 1,20,887 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्द्धन मिशन

- वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में 11वीं व 12वीं, यू.जीए./पी.जी. तथा पीएचडी में कृषि विषय के साथ अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि 5 हजार, 12 हजार व 15 हजार रूपये से बढ़ाकर क्रमशः 15 हजार, 25 हजार तथा 40 हजार रूपये प्रतिवर्ष की गयी है।
- कृषक उन्नत कृषि तकनीक अपना सकें एवं स्वरोजगार प्रारम्भ कर सकें इस हेतु कृषकों/युवा कृषकों को प्रशिक्षण हेतु राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन की सुविधा प्रारम्भ कर दी गई है।

अब किसानों को दो हजार यूनिट निःशुल्क बिजली

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान में गहलोत सरकार ने चुनावी वायदों के मुताबिक किसानों की पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। यहीं नहीं किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है। किसानों को निर्बाध बिजली सप्लाई तंत्र स्थापित हो चुका है। किसानों को बिजली पर अनुदान दिया जा रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में किसानों की फसल उगाई की बड़ी समस्या अब पूरी तरह समाप्ति की ओर है। किसानों को पूरी बिजली मिल रही है। लाखों किसानों के बिल शून्य हो गए हैं और पूर्व सरकार के वक्त पड़े लंबित लाखों कनेक्शन भी अब जारी हो चुके हैं। नए कनेक्शन लेने में किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

पांच साल तक किसानों की बिजली दरें नहीं बढ़ाई

बिलिंग माह मई 2021 से जून 2023 तक लगभग 13.50 लाख किसानों को 2409.69 करोड़ रूपए का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया। साथ ही, लगभग 8.79 लाख किसानों के शून्य राशि के बिल जारी किए गए हैं। 2 हजार यूनिट प्रतिमाह तक उपयोग करने वाले समस्त 11 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए विद्युत कनेक्शन आवेदनों की 31 दिसम्बर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक की पेंडेंसी, लगभग 4 लाख 88 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन खत्म करने की दृष्टि से 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन दो वर्षों में जारी किए गए। वर्ष 2022-23 में 99,137 कनेक्शन जारी हुए। वर्ष 2023-24 में जून 2023 तक 39,058 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। दिसम्बर 2018 से जून 2023 तक 4.03 लाख कृषि कनेक्शन जारी हो चुके हैं। कृषि विद्युत् कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु विद्युत् वितरण निगम एवं उपभोक्ताओं के मध्य होने वाले करार (एग्रीमेंट) को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त किया जा चुका है।

14 जिलों में कृषि के लिए दो ब्लॉक में बिजली सप्लाई के संयंत्र स्थापित हुए

कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु 18 जिलों में विद्युत् तंत्र स्थापित किए गए। बिजली की उपलब्धता अनुसार दिन के दो ब्लॉक में विद्युत् आपूर्ति की जा रही है। जिला जालौर के 90 प्रतिशत क्षेत्रों में दिन के 2 ब्लॉक हेतु विद्युत् तंत्र स्थापित हो चुके हैं। शेष 14 जिलों में कृषि के लिए दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति हेतु माह जुलाई 2024 तक विद्युत् तंत्र स्थापित किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि कनेक्शनों के लिए अलग से फीडर स्थापित करने के लिए प्रथम चरण में 1,534 फीडरों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय।

71 हजार करोड़ से ज्यादा को बिलों पर अनुदान

किसानों के बिजली के आर्थिक भार को कम करने के लिए गहलोत सरकार ने किसानों को अुनदान के रुप में बड़ी राहत दी है। दिसम्बर 2018 से मई 2023 तक किसानों को बिजली के बिलों में 71 हजार 53 करोड़ रूपए का अनुदान दिया गया।

गौशालाओं को 9 माह के अनुदान का बड़ा फैसला

जयपुर। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत दुग्ध संकलन पर 1 फरवरी 2019 को 2 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान की स्वीकृति दी गई। फिर इसे 2022-23 में बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर किया गया।

अब तक 894.18 करोड़ रूपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। गौशालाओं में संधारित गौवंश के लिए सहायता राशि की दर बड़े गौवंश हेतु 32 रुपए तथा छोटे गौवंश के लिए 16 रुपए प्रतिलीटर से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपए प्रतिलीटर तथा छोटे गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिलीटर की गई। चारे की बढती हुई दरों एवं गौशालाओं की मांग पर गौशालाओं को 6 माह के स्थान पर 9 माह का अनुदान वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया गया। नंदीशालाओं में देय अनुदान को 9 माह से बढ़ाकर पूरे साल यानी 12 महीने किया गया।

साथ ही, गोशालाओं में अपाहिज व अंधे गोवंश के लिए भी भरण पोषण अनुदान वर्षभर दिया जाएगा। गौशालाओं में संधारित गौवंश के चारा-पानी के लिए 2465 करोड़ रूपए की सहायता गौशालाओं को दी गई। गौशालाओं को भरण-पोषण हेतु पात्रता की शर्त दो वर्ष पूर्व का पंजीयन के स्थान पर एक वर्ष का पंजीयन तथा न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर न्यूनतम 100 गोवंश किया गया। 125 गौशालाओं का पंजीकरण किया गया है। गौशालाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाईन किया जा चुका है।

अब कृषि में भी ईज ऑफ डूइंगः किसान टेक्नो फ्रेंडली हो रहे

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राज्य में कृषकों को नवीन कृषि तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए 8.51 लाख (महिला एवं पुरूष) कृषकों को 1-2 दिवसीय प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया तथा 1.57 लाख कृषकों को भ्रमण पर भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा राज किसान साथी पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत बनाया गया है जो कि सिंगल विंडो प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमे कृषि एवं संबंधित विभागों के आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन की जाती है। अब तक 40 लाख से अधिक किसानों ने इनका उपयोग किया है। 32 लाख से अधिक किसानो को ऑनलाइन बीज मिनीकिट वितरित किए गए है। 2 लाख से अधिक किसानो को इसके माध्यम से 740 करोड रूपए हस्तांतरित किए गए है। अब तक कृषको के लिए फार्म पौण्ड, डिग्गी, पाईप लाईन, जलहौज, ड्रिप, फव्वारा, ग्रीन हाउस, कृषि यंत्र, तारबन्दी, सोलर आदि 30 योजनाए ऑलनाईन की जा चुकी है। इस पोर्टल के द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशी के 50 हजार से अधिक लाईसेन्स जारी किए है। एग्री बिजनेस से जुडे लाईसेन्स, क्वालिटी कंट्रोल, मौका निरीक्षण, भौतिक सत्यापन आदि प्रकिया भी इसके माध्यम से ऑनलाईन की जाती है।

78 लाख से ज्यादा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे

कृषकों को 78.52 लाख से ज्यादा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। कृषकों के खेत की मेड (सीमा) पर तथा खेत के अन्दर 17 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया। परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत 5,025 कलस्टर्स के चयनित 1.31 लाख कृषकों को विभिन्न गतिविधियों पर 169.47 करोड़ रूपए की अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई गई है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत चयनित जिलों के 24,604 कृषकों को अनुदान सहायता एवं 36,213 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया। योजनान्तर्गत 2.64 करोड़ व्यय किए गए।

मंडियों में बीज वितरण आउटलेट बनेः मण्डी प्रांगणों में बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 168 भूखण्डों/परिसम्पत्तियों का निःशुल्क आवंटन किया जा चुका है। अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 में संशोधन करते हुए अन्य व्यवसायिक प्रयोजनों हेतु भूखण्डों के आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 30 प्रतिशत एवं निःशक्तजन वर्ग हेतु 04 प्रतिशत भूखण्डों के आरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया।

किसान को फसल की पूरी कीमत मिलने लगी

145 मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। किसानों को फसलों की पूरी कीमत मिल सके। प्रतिस्पर्धा के दौरे में उन्हें भी आर्थिक फायदा हो, इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से कृषकों को उनकी कृषि उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के लिए योजना प्रारंम्भ की गई। राज्य की 145 कृषि उपज मण्डी समितियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) लागू है। ई-नाम परियोजना अन्तर्गत 78.62 लाख लोट्स का ई-ट्रेड किया गया जिनकी मात्रा 154.13 लाख मैट्रिक टन तथा मूल्य 61,331 करोड़ रूपए है।

जिसका परिणमा रहा कि कुल आवक का 76 प्रतिशत ई-ट्रेड हुआ। परियोजना के अंतर्गत 15.04 लाख किसानों व 84,050 लाख व्यापारियों का पंजीकरण किया जा चुका है। कृषक उपहार योजना-2022 को 1 जनवरी 2022 से प्रारम्भ किया गया। ई-नाम पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज विक्रेता को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज की ऐसी विक्रय पर्ची पर एक उपहार कूपन का नम्बर जारी किया जाता है, जिस पर मण्डी शुल्क देय हो। प्रति छः माह में राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रुप में क्रमशः 2.50 लाख, 1.50 लाख, 1.00 लाख रुपए, खण्ड स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के रुप में क्रमशः 50 हजार, 30 हजार, 20 हजार रुपए तथा मण्डी स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कारों के रुप में क्रमशः 25 हजार, 15 हजार, 10 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय पश्चात ई-भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए सावित्री बाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई है।

राजस्थान में अब उगने लगा खजूर, ईसबगोल-मेथी में बना नंबर वन

ब्यूरो/नवज्योति,जयपुर। राजस्थान में अब खजूर की भी खेती होने लगी है। खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाली उच्च आय को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कार्ययोजना तैयार की और जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही, झुंझुनूं, जयपुर, अजमेर एवं सीकर में 530.34 लाख रूपए खजूर उगाई पर खर्च किए। इसके चलते 249 हैक्टेयर क्षेत्र में कृषकों के खेतों में अब खजूर के बगीचे स्थापित हो चुके हैं। खजूर बाजार में देकर वे मोटी आय कर रहे हैं। वहीं वर्ष 2021-22 मे राज्य देश में ईसबगोल व मेथी के उत्पादन में प्रथम, जीरे, लहसुन, सौंफ के उत्पादन में द्वितीय तथा अजवाईन एवं धनिये के उत्पादन में तृतीय रहा।

95.96 लाख क्विंटल उन्नत बीज बांटे, ड्रोन से नैनो यूरिया छिड़काव

राजस्थान सरकार ने उच्च गुणवत्ता की फसल पैदा हो इसके लिए 95.96 लाख क्विंटल उन्नत/प्रमाणित बीज का वितरण कर चुकी है। 4.90 लाख चारा मिनिकिट तथा 55.70 लाख फसल बीज मिनिकिट उपलब्ध करवाए गए हैं। 2.08 लाख कृषकों को 1.03 लाख मै. टन जिप्सम अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाया गया। कृषकों के खेतों पर 9.04 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। तथा 821 समन्वित कीट नियंत्रण प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। किसानों को 106 लाख मै. टन यूरिया एवं 34.09 लाख मै. टन डी.ए.पी. उपलब्ध करवाया गया। 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर पर नैनो यूरिया का ड्रोन से छिड़काव करने का काम शुरू हो गया है।

सामुदायिक जलस्रोत बन रहे, 150 का काम पूरा

वर्षा जल के संरक्षण और सिंचाई में इनका भरपूर उपयोग के साथ ही भूजल में बढ़ोतरी के लिए सरकार का वर्ष 2022-23 का 191 सामुदायिक जल स्त्रोतों का निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। 150 जल स्त्रोतों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी संभागीय मुख्यालयों पर रूपए 5-5 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित एवं कांसेप्ट नोट तैयार किया जा चुका है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रसारित